खण्ड-279, अंक-5
सोमवार, 3 भाद्रपद, शक संवत् 1891
(25 अगस्त, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 279 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५३१–५३५
प्रश्नोत्तर	५३५–५५८
प्रश्नों के संबंध में जानकारी	५५८
सदन की समितियों के चुनाव के कार्यक्रम के संबंध में सूचना ..	५५८
श्री वी० वी० गिरि के राष्ट्रपति के पद पर चुनाव पर बधाई के प्रस्ताव पर विचार की मांग	५५९–५६२
साप्ताहिक कार्यक्रम के संबंध में सूचना	५६२
झांसी जिला परिषद् के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिये मान्यता न दिये जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	५६२–५६३
प्रदेश में बाढ़ तथा अतिवृष्टि के संबंध में वक्तव्य की मांग ..	५६३–५६६
१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १४—कारागार तथा अनुदान संख्या ४५—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन (जारी)	५६६–५७४
नत्थी	५७५–५७६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २५ अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरंभ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३१७

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ़्फ़ार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेशप्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफ़ाक अहमद, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्ण कान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ़ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)

केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल चौधरी
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचलसिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुरसिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिनहा, श्री
जैराम, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तेजनरायन, श्री
तेजपाल , श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नगीनासिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहालसिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहालसिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री

पूरनचन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी, श्री
बंशगोपाल, शुक्ल श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलरामसिंह यादव, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवतदयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदने मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन, खां श्री
महरम सिंह, श्री]
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीरसिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुस्तफ़ा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथसिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीरसिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर, श्री

रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
राम बचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़—रानी की सराय)
राममूर्ति अंचल, श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
राम लखनसिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामविलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरतसिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राव अब्दुर रफ़ी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेवसिंह, श्री
विक्रमसिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुरसिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफ़ीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम श्री,
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार, श्री (जिला सुलतानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवपालसिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री

शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद, सिंह श्री
शुक्रू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामीप्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मोलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा-फ़तेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २५ अगस्त, १९६९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

औद्योगिक विकास के लिए बिक्री कर मुक्त माल

**१—श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में देश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या सरकार ने कतिपय उद्योगों को उनके माल की इस प्रदेश में बिक्री-कर से ३ साल की छूट दी है, यदि हां, तो किन-किन उद्योगों को ?

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

जी हां। इस प्रकार की छूट शासन ने अभी तक प्रदेश में स्थापित निम्नांकित औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित माल को दी है—

(१) मेसर्स दास हिटैची लि०, साहिबाबाद।

(२) मेसर्स अल्युमिनियम कैबिल्स, लि०, गाजियाबाद।

(३) मेसर्स इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, नैनी, इलाहाबाद ।
(४) मेसर्स जीप फ्लैशलाइट इन्डस्ट्रीज लि०, हरवारा, इलाहाबाद ।
(५) मेसर्स आर० के० सेठ (वायर इन्डस्ट्रीज) इन्डस्ट्रीयल स्टेट, ऐशबाग, लखनऊ ।
(६) मेसर्स एल० एम० वायर्स एण्ड कैबल्स कं०, मुरादाबाद ।
(७) मेसर्स जनरल इलेक्ट्रिक कं०, नैनी, इलाहाबाद ।
(८) मेसर्स पोयशा इन्डस्ट्रियल कं० लि०, गाजियाबाद ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन फर्म्स का उन्होंने नाम लिया है तो क्या इस संबंध में कोई नियम, काई यार्डस्टिक या कोई पैमाना है कि जिस आधार पर यह छूट इन फर्म्स को दी गई है और क्या वह औरों को भी दी जायेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

सेल्स टैक्स ऐक्ट में एक धारा ४ (क) है उसमें जो नई इकाइयां बैंक लिस्ट में नहीं हैं वह यदि उद्योग स्थापित करती है तो उनको ऐसी छूट दी जाती है ।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

मेसर्स दास हिटेची लि० गाजियाबाद तथा एलमुनियम लिमिटेड यह पुराने संस्थान हैं या नए और अगर पुराने हैं तो इनको छूट क्यों दी गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इन्हें तो पहले से छूट है और अंतिम ५ फर्म्स जो हैं इनको नई छूट दी गई है ।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

इस छूट के देने से कितने रुपये की हानि सरकार को हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

वैसे तो इस छूट से लगभग ९ लाख रुपये की हानि होगी लेकिन प्रास्तव में यह प्रदेश की हानि नहीं है क्योंकि जो माल बनेगा और उस पर सेल्स टैक्स लगेगा और जो हमारे उद्योग आगे बढ़ेंगे तो उससे सूबे का लाभ ही होगा, हानि नहीं है ।

श्री राजितराम पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नैनी, इलाहाबाद को इसमें से कितनी छूट दी गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

धन का अलग-अलग ब्योरा तो मेरे पास नहीं है बाकी वहां की दो फर्म्स हैं इलक्ट्रिकल मैनुफक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद और मेसर्स जीप फ्लैश लाइट इन्डस्ट्रीज लि०, इलाहाबाद ।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस आधार पर ये इन्डस्ट्रीज की कैटगरीज हैं आपकी उनमें यू० पी० में कितनी बाकी हैं, जिन को छूट दी गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इसका एक फार्म होता है उस पर आवेदन पत्र आता है, तत्पश्चात् उसको दिया जाता है । एक यहां पर हाई पावर कमेटी है, उसके समक्ष कोशिश की जाती है कि जो उद्योग हैं, उनको दी जा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन कंपनीज को यह ३ साल की छूट है, उनको यह आदेश देकर बाध्य किया है कि वे अपनी आय का ब्योरा आपके पास भेजें ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जब हमारे यहां से कोई टैक्स नहीं लगेगा तो हम किस प्रकार का ब्योरा लेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन उद्योगों को छूट दी गई, उनके मालिकों के क्या नाम हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगें कि क्या उनके पास इस प्रकार के प्रार्थना पत्र देहरादून से भी आए हैं और क्या उन पर उन्होंने कोई विचार किया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, न मुझे कोई स्मरण है और न कोई ज्ञान है । यदि मेरे मित्र बतायें तो मैं उन पर विचार कर लूंगा ।

गृह उद्योग सहकारी समिति, कोटद्वारा में गबन की शिकायत

**२—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गृह उद्योग सहकारी समिति, जिला कोटद्वारा (गढ़वाल) में लगभग ६०–७० हजार रुपये का गबन होने की शिकायत जो कोटद्वारा के निवासियों ने माह जुलाई, १९६९ में शासन को भेजी है, प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

इस संबंध में कोटद्वारा के निवासियों से कोई शिकायती-पत्र जुलाई, १९६९ में शासन को प्राप्त नहीं हुआ है । अतः इस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर जो उद्योग समिति है उसमें कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दिया है ? इसके बारे में उन्हें कोई सूचना प्राप्त हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह अल्प-सूचित प्रश्न है । पूछी गई सूचना तो मेरे पास नहीं है । जब आपने प्रश्न पूछा तो मैंने पता लगवाया कि वहां पर गबन है या नहीं । गबन के बारे में कोई शिकायत शासन के पास नहीं आई । हो सकता है कि डायरेक्टोरेट में आया हो । मैं उसके बारे में पता लगा रहा हूं ।

श्री राजितराम पांडेय—

जो आपने सूचना प्राप्त की तो क्या यह आपको जाहिर नहीं हुआ कि कितना गबन है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास कोई सूचना नहीं है। हो सकता है कि माननीय सदस्य के पास हो। मैं इसके बारे में पता लगवा रहा हूं।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी इस दिशा में पूरी जानकारी करवाने का आश्वासन देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो अर्ज किया कि आपके कहे बिना ही यह आदेश दे दिए हैं कि पता चलाया जाय कि वहां पर कोई गबन हुआ है अथवा नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी जानकारी में यह विषय कब आया और उनको अभी तक गबन के बारे में पता चला या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इन्होंने अपने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में यह लिखा है कि इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार के पास आई है अथवा नहीं। इसके बाद मैंने पता लगाया कि कोई शिकायत यहां पर आई है अथवा नहीं। पता चला कि कोई शिकायत नहीं आई इसलिए मैंने आदेश दे दिया है कि इसकी तुरन्त जांच कराई जाय और पता चलाया जाय कि गबन हुआ अथवा नहीं।

तराई भावर सब-डिवीजन में जुडीशियल आफिसर नियुक्त करने की मांग

**३—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतावेंगे कि जिला नैनीताल के तराई भावर सब-डिवीजन में दो साल पूर्व जुडिशियल आफिसर की जो व्यवस्था की गई थी अब यह व्यवस्था किस कारण हटा ली गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वादों की कमी के कारण जुडीशियल आफिसर के पद को रिक्त रखा गया है।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इसी जिले में एक सब-डिवीजन काशीपुर है जहां पर एक जुडिशियल अधिकारी की नियुक्ति हुई है। तो तराई भावर सब-डिवीजन में जिसके अन्तर्गत ६ थानें हैं और ३ तहसीलें हैं, वहां पर नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनकी नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस बात को हाई कोर्ट तय करती है। यहां जो केसेज थे वे कम समझे गये इसी कारण से।

श्री इन्द्रलाल—

इस प्रश्न को सूचना मान कर वहां पर सबसे अधिक क्राइम्स की संख्या है उसकी जांच कराते हुए क्या माननीय मंत्री यह बात देखेंगे कि जिस समय दो साल पूर्व जुडीशियल आफिसर्स का पद रिक्त हुआ था उस समय वादों की संख्या क्या थी और जिस समय वह पद था उस समय क्या थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

संख्या का सवाल नहीं है। हाई कोर्ट ने देखा कि वहां केसेज ज्यादा नहीं थे तो जो जुडिशियल आफिसर थ वहां मिस्टर भाटिया, उनको बदल दिया गया। अब थोड़े से मुकदमे जब बढ़ गये तो उन्होंने एक एडीशनल मुंसिफ मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति के आदेश दे दिए।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जुडीशियल आफिसर की जगह खत्म करने के कारण उस जगह के लोगों को अपने वादों के निस्तारण के लिये कितनी दूर आना जाना पड़ता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सब जगह तो वहीं हैं। दूसरी जगह वहां एक अफसर थे। उनको बदल दिया गया। अब एडीशनल मुंसिफ मैजिस्ट्रेट्स हैं वे उसी जगह हैं।

श्री इन्द्रलाल—

तराई भावर में दो सब-डिवीजन हैं तो क्या यह सही है कि न्याय पाने के लिये ६०–७० मील दूर इनको जाना पड़ता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिला अधिकारी ने जुडीशियल आफिसर का हेडक्वार्टर नैनीताल से हलद्वानी कर दिया। जुडीशियल आफिसर हाई कोर्ट ने नहीं भेजा तो उसका इन्तजाम हो नहीं सका।

उप शिक्षा निदेशक, द्वितीय मंडल, बरेली के विरुद्ध शिकायत

**४—श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

विधान सभा के वर्तमान सत्र (१९६९) के ३रे शुक्रवार के लिये निर्धारित मेरे प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच रिपोर्ट क्या है ? आख्या सरकार को कब मिली तथा कार्यवाही क्या तथा कब की गई ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

जांच आख्या में बताया गया है कि शिकायतें निराधार पाई गईं। यह आख्या शासन को शिक्षा निदेशक के पत्र संख्या डी० ई० डी०/६०२, दिनांक २० जुलाई, १९६९ के अन्तर्गत दिनांक २१ जुलाई, १९६९ को प्राप्त हुई जो अभी विचाराधीन है।

सेवाराह, बिजनौर तथा धामपुर गन्ना विकास परिषदों के अध्यक्ष

**५—श्री रामपाल सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर की सेवाराह, बिजनौर तथा धानपुर गन्ना विकास परिषदों में मौजूदा सरकार द्वारा कौन-कौन व्यक्ति चेयरमैन मनोनीत किये गये हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मौजूदा सरकार की सहमति से केवल बिजनौर गन्ना विकास परिषद् के चेयरमैन, कुंवर सत्यवीर भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, मनोनीत किये गये हैं। प्रश्नगत अन्य दो गन्ना विकास परिषदों के चेयरमैनों का नामांकन वर्तमान सरकार के शासन काल से पूर्व हो गया था।

श्री रामपाल सिंह —

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह नामिनेशन किस आधार पर हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसे कमिश्नर करता है सरकार की सहमति से। इसमें आधार का क्या प्रश्न है ?

श्री रामपाल सिंह—

तीनों विकास परिषद् का कार्यकाल जब एक है तो एक का नामिनेशन एक दफा और दो का एक दफा क्यों किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

दो विकास परिषद् का नामिनेशन गवर्नर शासन में हो चुका था और एक का बाद में हुआ था। गवर्नर शासन काल में जिन दो का नामिनेशन हो गया था उसकी जिम्मेदारी इस सरकार पर नहीं है।

श्री बीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

बिजनौर के नामिनेशन के लिये जिलाधीश ने किन नामों की सिफारिश की थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जिलाधीश के नामिनेशन केलिये सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। आपकी जानकारी के लिये नाम बतला सकता हूं कि केन कमिश्नर ने भेजे थे।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)--

जो अध्यक्ष नामजद होते हैं इसमें गन्ने की खेती करने वाले किसान होते हैं या दूसरे भी हो सकते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

तीन में दो तो पुराने हैं। ये लोग खेती करते हैं।

मोदीनगर को नगरपालिका बनाने की मांग

*६--श्री बीरेन्द्र वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री की जानकारी में है कि मोदीनगर, जिला मेरठ की जनसंख्या आज ४०हजार से अधिक होते हुए भी उसको आज तक नगरपालिका नहीं बनाया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)--

यह सही है कि मोदीनगर को अभी तक नगरपालिका नहीं बनाया गया। मोदीनगर की वर्तमान जन संख्या की सूचना नहीं है। १९६१ की जनगणना के अनुसार वहां की जनसंख्या २४,२६६ थी।

**७--श्री बीरेन्द्र वर्मा--

क्या यह सही है कि इसी मई, जून मास में गृह मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में नैनीताल में हुई गवर्नर्स एडवाइजरी कौंसिल ने सर्वसम्मति से मोदीनगर को नगरपालिका बनाये जाने की सिफारिश की थी, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अभी तक की गई ?

श्री अतीकुर्रहमान--

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री बीरेन्द्र वर्मा--

इतनी बड़ी जन-संख्या और इतना बड़ा कस्बा होने के बावजूद किन कारणों से अभी तक यह नगरपालिका नहीं बनाया गया ?

श्री अतीकुर्रहमान--

नगरपालिका बनाने के लिये जन-संख्या तो देखी नहीं जाती है। १९५९ से लकर अब तक कई मर्तबा गवर्नमेंट में इस पर विचार हो चुका है लेकिन इस वजह से कि वर्कर्स पर टैक्स न लगे और इन्डस्ट्री के हित में यह मुफीद नहीं समझा गया इस वजह से इसे नगरपालिका नहीं बनाया गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

गाजियाबाद और प्रदेश के ऐसे सभी स्थान जहां इन्डस्ट्रीज हैं वह नगरपालिकायें हैं । तो ऐसा कौन-सा विशेष अहित इन्डस्ट्रीज का होता था जिसके कारण यह नगरपालिका नहीं बनाया गया ?

श्री अतीकुर्रहमान--

पहले जब १९६३ में इस पर विचार किया गया था तो मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास, बंगाल, बिहार वगैरह अन्य प्रदेशों से इन्क्वायरी की गई थी जिससे यह मालूम हुआ कि जो हाइली इन्डस्ट्रियलाइज्ड एरियाज हैं उनको नोटिफाइड एरिया तक ही बनाया गया है, म्युनिसिपैलिटी नहीं बनाया गया है ।

श्री ईश्वर दयाल (जिला मेरठ)--

क्या यह सही नहीं है कि इस नोटिफाइड एरिया में मोदी परिवार के ही नामजद सदस्य हैं और उन्हीं के दबाव के कारण सरकार इसे नगरपालिका बनाने की नहीं सोच रही है ?

श्री अतीकुर्रहमान--

मोदी परिवार का इससे जरूर ताल्लुक है । पहले २० हजार पये मोदी परिवार कम से कम देता था या २५ फीसदी खर्चा बरदाश्त करता था जो ज्यादा हो । अब जो बाद को निर्णय हुआ है उसमें कम से कम ४० हजार रुपये या २५ फीसदी एक्सपेंडीचर उनको बरदाश्त करना है । इसके अलावा स्टैंड पोस्ट, लाइट का खर्च उनके जिम्मे है ।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)--

अभी मंत्री जी ने फरमाया कि बिहार और दूसरे प्रान्तों के आंकड़े मिलाये गये तो उससे यह मालूम पड़ा कि इंडस्ट्रियल टाउन्स को सिर्फ नोटिफाइड एरिया तक बनाया गया है । क्या वह यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नगर नहीं है जो इन्डस्ट्रियल हो और उसको नगरपालिका न बनाया गया हो ?

श्री अतीकुर्रहमान--

मुझे यह देखने की अभी जरूरत ही पेश नहीं आई। मैं तो १९५९ से १९६८ तक जो कुछ हुआ उसको बयान कर रहा हूं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या प्रदेश में कोई ऐसा और कोई टाउन एरिया है जो नगरपालिका न बना हो, सिवाय मोदीनगर के ?

श्री अतीकुर्रहमान--

यह मुझे इस वक्त नहीं मालूम ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नगरपालिका बनाये जाने की शर्तें क्या हैं ? क्या मोदीनगर टाउन एरिया कमेटी उन शर्तों को पूरी करती है ?

श्री अतीकुर्रहमान--

नगरपालिका की एक शर्त यह है कि उसकी आमदनी ५० हजार से ज्यादा हो । ५० हजार से इसकी आमदनी ज्यादा है लेकिन ऐसे नोटीफाइड एरिया भी है जिनकी आमदनी १ लाख है ।

श्री ईश्वर दयाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मोदीनगर नोटीफाइड एरिया की आमदनी क्या है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

१९६७-६८ की आमदनी १,१६,५७६ रुपया थी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मेरठ और मुजफ्फरनगर के एम० एल० एज० ने और वहां की जनता ने माननीय मंत्री जी को तथा माननीय मुख्य मंत्रीजी को अलग-अलग ज्ञापन दिये थे। क्या माननीय मंत्री जी उनके प्रार्थना-पत्र से सहमत हैं और उसको नगरपालिका बना देंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

सहमत तो नहीं हूं। लेकिन प्रकाशवीर शास्त्री साहब ने मुझे एक खत लिखा था और चीफ़ मिनिस्टर साहब को भी खत लिखा था। दोनों प्रार्थना-पत्रों को विभाग में कमेंट के लिये दे दिया है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मोदी नगर टाउन एरिया आबादी और आय के हिसाब से नगरपालिका में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन उस को आज तक ऐसा न करने का क्या विशेष कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मोदी नगर की आय जो आपने बतायी सीमा से ज्यादा है, फिर उसको नगरपालिका बनाने में आप को क्या आपत्ति है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मान्यवर, मुझको यह आपत्ति है कि बार-बार इस पर विचार होता रहा और अभी मैंने अर्ज किया कि मैंने अभी विभाग के कमेंट्स मांगे हैं, उन पर मैंने अभी विचार नहीं किया है। वैसे मोदी नगर मेरे वतन के जिले और दिल्ली के रास्ते में पड़ता है, उसका आउट लुक भी अरबन है। लेकिन जब मैंने पूरी फ़ायल को पढ़ा तो मुझे यह जरूरत महसूस हुयी कि उसकी फिर से जाँच की जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो डेप्यूटेशन मोदी नगर के निवासियों का तथा एम० एल० एज० का माननीय मंत्री जी से मिला था वह माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मिला ? तो क्या माननीय मन्त्री जी यह जानकारी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको यह उत्तर दिया कि अगर हमने मोदीनगर को नगरपालिका बना दिया तो हम को एअर कंडीशन्ड गाड़ी न मिल सकेगी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मुझ को इसका इल्म नहीं है।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि "मेरा वतन"। क्या जहां उनका घर है वही उनका वतन है अथवा सारा प्रदेश ही उनका वतन है ?

श्री अध्यक्ष—

यह आप ने बहुत अच्छा किया उनकी गलती पकड़ ली।

विधायकों को नगरपालिका का पदेन सदस्य बनाने का सुझाव

**८—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली), श्री सियाराम (जिला एटा) तथा श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वह जिला परिषद् के किसी भी क्षेत्र से निर्वाचित विधायकों को उनके क्षेत्र की नगरपालिका का पदेन सदस्य बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी नहीं।

प्रतापगढ़ जिले में खनवारी गांव की महिला का कत्ल

**९—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १३ जुलाई, १९६९ को ग्राम खनवारी, जिला प्रतापगढ़ की एक महिला का कत्ल हो गया जिसकी लाश नहर में बहती हुई ग्राम अर्जन अतेरू में मिली ? यदि हां, तो कत्ल होने का क्या कारण है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

दिनांक १४ जुलाई, १९६९ को श्री बाबू लाल निवासी ग्राम बनवारी, जिला प्रतापगढ़ ने थाना संग्रामगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उस की स्त्री की लाश नहर में बहती हुई मिली। इस सूचना के आधार पर धारा ३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। मृत्यु का कारण शव परीक्षा से अज्ञात रहा। वास्तविकता का पता लगाया जा रहा है।

**१०—श्री गया प्रसाद —

क्या यह सही है कि कत्ल करने वाले लोग स्थानीय पुलिस से मिले हुये हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी नहीं।

श्री गया प्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह महिला कब अपने घर से गायब हुई थी ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, जहां तक प्रथम सूचना है उससे प्रतीत होता है कि १२-१३ तारीख की शाम को या रात को।

श्री गया प्रसाद—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि महिला के पति से कोई छानबीन की गई और उस ने क्या बताया ?

श्री कृष्णानन्द राय—

महिला का पति घर गया तो उसके लड़के ने बताया कि उसकी मां यानी उसकी स्त्री गायब है। उसने तलाश किया और ससुराल गया तो नहर में लाश मिली।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि महिला की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

रिपोर्ट में यह लिखा है कि किस कारण से मृत्यु हुई यह बताना मुश्किल है क्योंकि लाश सड़ गई थी।

श्री गया प्रसाद—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि किस आधार पर और किस के द्वारा जांच कराई जा रही है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

पुलिस जांच कर रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, गया प्रसाद जी ने यह पूछा है कि आगे जो जांच चल रही है उसका आधार क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन, प्रथम सूचना आधार है।

पौड़ी नगरपालिका के खिलाफ शिकायतें

**११—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका पौड़ी (गढ़वाल) में अनेक प्रकार की अनियमितताओं जैसे गबन आदि की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये जिलाधीश गढ़वाल ने हाल में यह सिफ़ारिश की है कि इसे (नगरपालिका पौड़ी को) सुपरसीड कर दिया जाय ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां।

मामला विचाराधीन है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश गढ़वाल ने इस नगरपालिका को सस्पेंड करने के लिये सब से पहले कब सूचना दी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

सब से पहले जिलाधीश ने ९-८-६९ को चेयरमैन के खत को फ़ारवर्ड किया था और सस्पेंशन के लिये रिकमेंड किया था।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या अब भी यह प्रश्न विचाराधीन है जब कि उसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया जिसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव था और क्या मंत्री जी अपना निर्णय बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

किसी व्यक्ति के बारे में मुझे मालूमात नहीं है अलबत्ता इसके सस्पेंशन की कार्यवाही हुई तो ला डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया गया और कलक्टर से डिटेल्स मंगाये गये और जो डिटेल्स आईं वह १६-१२-१९६८ को फ़र्दर इंफ़ारमेशन के लिये गईं और ९-२-१९६९ को खत आया।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अध्यक्ष इस समय मौजूद हैं पहले वह स्वतन्त्र पार्टी में थे । अब दल बदल कर चूंकि कांग्रेस पार्टी में आ गये हैं इसलिए यह कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मुझे पार्टी के बारे में कोई मालूमात नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जो ९-२-१९६९ को जिलाधीश की रिपोर्ट सुपरसेशन की आयी है वह क्या है और उसमें अभी तक विलम्ब क्यों हो रहा है?

श्री अतीकुर्रहमान—

मेरे ख्याल में विलम्ब नहीं हो रहा है। ला डिपार्टमेंट में जो डिटेल्ड इनफ़ार्मेशन मंगाई गयी थी वह नाकाफ़ी थी। फ़िर वह एग्जामिन की गयी है।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि ला डिपार्टमेंट ने कौन से प्वाइंट पर क्लेरिफ़िकेशन चाहा था और जिलाधीश की रिपोर्ट अब तक आ गयी है या नहीं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जिलाधीश से रिपोर्ट आ चुकी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो अपनी प्रथम रिपोर्ट सुपरसीड करने के लिये भेजी जिस पर ला डिपार्टमेंट ने सूचना मांगी है वह पहली रिपोर्ट क्या है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मान्यवर, मैं इसमें तलाश कर के उत्तर दूंगा कि रिपोर्ट क्या है।

श्री अध्यक्ष—

आप को जानकारी नहीं है। आपने पढ़ा नहीं है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मैंने देखा है । उसमें संक्षेप में निवेदन करने के लिए मुझसे पूछना है तो उस में १५ ऐलीगेशंस थे जिसमें ९ ऐलीगेशंस बिलकुल निराधार साबित हुए । ६ ऐलीगेशंस के बारे में डिटेल्ड इनफार्मेशन चाही गयी।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जिन जिन आधारों पर सुपरसीड करने के लिए जिलाधीश महोदय ने कहा था वह क्या क्या आधार थे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो बहुत ज्यादा हैं।

बैंकों से कृषि सम्बन्धी ऋण

**१२—श्री राजित राम पांडेय—

क्या वित्त मन्त्री बतायेंगे कि बैंकों से अधिक से अधिक रुपया काश्तकारों को कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये उपलब्ध कराने की दिशा में वर्तमान सरकार की कोई योजना है, यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जी हां। राज्य के आर्थिक विकास के लिये संस्थात्मक वित्त के समभाव्य श्रोत का पूरी तरह लाभ उठाने के लिये राज्य सरकार ने ोस कदम उठाये हैं। जहां तक किसानों के कृषि संबंधी ऋण बैंकों से उपलब्ध कराने का प्रश्न है निम्नलिखित प्रगति हुई है।

(१) एग्रीकल्चरल रीफाइनेन्स कारपोरेशन से धन प्राप्त कर कृषि संबंधी योजनाओं के लिये ऋण उपलब्ध कराने का प्राविधान है। सहकारी क्षेत्र में कुल मिला कर इसकी ३१ परियोजनायें जिनका कुल अनुमानित व्यय ६५ करोड़ ८९ लाख रुपया है, एग्रीकल्चरल रीफाइनन्स कारपोरेशन के पास भेजी गयी हैं। इनमें १६ करोड़ ९७ लाख ० की लागत की परियोजनायें कारपोरेशन द्वारा स्वीकृत भी हो चुकी हैं।

(२) हाल ही में वाराणसी, एटा, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी आदि जिलों के छोटे किसानों के लिये कृषि संबंधी ऋण की व्यवस्था करने के अभिप्राय से स्टेट बैंक द्वारा एक परियोजना चालू की गयी है। इलाहाबाद बैंक ने भी इसी प्रकार ४ अन्य जिलों में ऋण देने के प्रस्ताव करने का आश्वासन दिया है।

(३) स्टेट बैंक आफ इंडिया लगभग ४० करोड़ ० का ऋण चालू वित्तीय वर्ष में सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड, गन्ना सहकारी समितियां लिमिटेड, भूमि बन्धक बैंक तथा तराई क्षेत्र में देने के लिये वचन बद्ध है। इस बैंक ने यह भी आश्वासन दिया है कि कृषि कार्यों के लिये १०० करोड़ रु० का ऋण जिसकी सीमा आवश्यकतानुसार अधिक बढ़ाई जा सकती है उपलब्ध करेगा।

(४) गन्ना सहकारी समितियों के लिये स्टेट बैंक तथा सेन्ट्रल बैंक उर्वरक खरीदने क अभिप्राय से ऋण देने के बचनबद्ध है।

(५) राज्य विद्युत परिषद को भी ५ बैंकों ने लगभग ६ करोड़ रु० व्यक्तिगत कुओं, नलकूपों तथा पम्पिग सेट आदि का विद्युतीकरण करने के अभिप्राय से ऋण देने का वायदा किया है।

(६) उपरोक्त के अलावा अन्य परियोजनाओं के लिये जिसमें ग्रेजुएट फार्म स्कीम आदि सम्मिलित हैं, अलग से विचार-विमर्श हो रहा है।

श्री राजित राम पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूमि बन्धक बैंक के लिये आपने यह नियम बना दिया है कि गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड दुकानों से ही काश्तकार सामान खरीदें और क्योंकि बैंक द्वारा कर्ज का चेक उन्हें दूकानों के नाम काटा जायगा ? इसे मैं और स्पष्ट कर दूं कि जो सामान आप कृषकों को देंगे पम्पिग सटस आदि उसके लिये बैंक उनको रुपया न देकर चेक काटेगा और चेक उन्हीं के नाम काटा जायगा जो कि आपकी नामिनी है जो आप के यहां रजिस्टर्ड हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरी दृष्टि में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स कारपोरेशन से जो कर्जा कृषकों को दिया जाता है, उसके कर्ज के लिये कृषक को सीधे कारपोरेशन को दरख्वास्त देना पड़ता है या किसी माध्यम से और जो कर्जा दिया जाता है उसकी शेर यानी रेट आफ इन्ट्रेस्ट क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

यह शरे वही है जो लैण्ड डेवलपमेंट बैंक लेता है।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जो बताने का कष्ट करेंगे कि भूमि विकास बैंक के द्वारा जो कर्जा दिया जाता है, वह किसानों को नगद नहीं बल्कि वस्तुओं के रूप में दिया जाता है ? और आयल इंजन आदि जो सिचाई के लिये आवश्यक होते हैं, वे भी निश्चित दुकान से दिये जाते हैं और उन्हीं के नाम पर चेक काटी जाती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

जी हां, ऐसी शिकायतें कभी कभी मिली हैं। लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश दिये गये हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि लैण्ड डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो पया दिया जाता है वह सिर्फ उनकी हैसियत पर, मालगुजारी का दो सौ गुना दिया जाता है जबकि कार्मशियल बैंक्स ४ सौ गुना देती है ? तो इसको देखते हुए क्या मंत्री जी उसे भी ४ सौ गुना कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

जब से बैंक नेशनलाइजेशन हुआ है हम लोग निरन्तर इस बात पर विचार कर रहे हैं कि स सम्बन्ध में कुछ यूनिफार्म रूल्स बनें, कहीं कहीं निफार्मिटी नहीं है। मेरे मित्र ने जो कहा है मैं नहीं जानता कहां तक सही है, लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि लोन देने की पालिसी स्टेटस बेस्ड नहीं होनी चाहिये, बल्कि नीड बेस्ड होनी चाहिये, आवश्यकतानुसार रुपया दिया जाना चाहिये ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

क्या यह सही है कि लैण्ड डेवलपमेंट बैंक से जो रुपया किसानों को दिया जाता है वह कैश में उनको नहीं दिया जाता है, बल्कि उनको बाध्य किया जाता है। वह बैंक द्वारा निश्चित दुकान से ही वह सामान उठायें औरउन्हीं दुकानों को वह पया दिया जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मेरे मित्र महीलाल ने भी यह प्रश्न किया था और मैंने उत्तर भी दिया । कैश में पया देने में तो बड़ी कठिनाई है, मान लीजिये आयल इंजन के लिये कर्ज दिया गया और उसने खर्च कर दिया शादी में, तो इसमें कठिनाई होती है ।

श्री ईश्वर दयाल---

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के यह बतलायेंगे कि क्या यह बात सही है कि किसानों को भूमि बन्धक बैंकों से जो रुपया दिया जा रहा है उसमें ट्रेक्टर व जमीन दोनों को गिरवी कर दिया जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मुझे इतनी जानकारी जरूर है कि यदि कोई कैश आदि दिया जाता है तो उसके खेत आदि के उसमें मोर्गेज करने की बात पैदा होती है । तो जो भी सम्पत्ति वह बतलाता है वह मोर्गेज की जाती है ।

श्री श्याम सूरत (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि फूलपुर भूमि विकास बन्धक बैंक द्वारा करीब तीन लाख रुपये का कई काश्तकारों का चैक फूलपुर मशीनरी स्टोर्स के नाम दिया गया और वह तीन लाख रुपये का गबन कर के भाग गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मुझे मालूम नहीं है। अगर मेरे मित्र लिख कर देंगे तो मैं निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में तहकीकात करा लूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह अवसर सुनने में आता है मंत्रि परिषद् के सदस्यों की तरफ से कि माननीय सदस्य लिख कर देंगे। इस सदन में पहले भी इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी जा चुकी है कि इस तरह से लिख कर दे गें—इस तरह की बात मंत्रिगण न कहें बल्कि जो इनफार्मेशन माननीय सदस्यों से मिलती है वह काफी होती है और उसी के ऊपर कार्यवाही किया करें। मान्यवर, आप इस पर पुनः व्यवस्था दें कि इस तरह की सदस्यों की उपेक्षा की बात न कहीं जाया करे।

श्री अध्यक्ष—

उपेक्षा की बात नहीं है। माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं कि अगर लिख कर दे ंगे तो एक्जेक्ट हो जायगा। यहां पर तो प्रश्न पूछा गया और उसके उत्तर से प्रकाश नहीं पड़ता है उसमें वह कह सकते हैं कि लिख कर दें। तो इसमें कोई मैंने रूलिंग नहीं दी है वह कह सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, इसमें यह निश्चित व्यवस्था की गई है कि इस तरह से नहीं कह सकते हैं। अगर कहेंगे तो यह कहेंगे कि इसमें नोटिस की या सूचना की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर यह कहा जाता है कि माननीय सदस्य लिख कर दें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सदन में यह नियम रहा है, पहले की प्रोसीडिंग्स आप देखें, यदि कोई सदस्य नयी चीज बतलाना चाहते हैं ो हमेशा यह कहा गया है कि इसे अगर आप लिख कर दे दें तो उसकी कुछ जानकारी हासिल कर लेंगे और यदि आवश्यकता होगी तो आपको भी बतला देंगे। इसमें अगर ज्यादा डिटेल्स नहीं होंगे तो ज्यादा जानकारी कैसे कर सकेंगे। इस सदन में जो प्रश्न करते हैं या सप्लीमेंटरीज करते हैं उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनसे कोई मालूमात नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुरा मान की चीज नहीं है। यहां आप सदन में देखें कि प्रश्नों में अगर कोई जानकारी नहीं हो सकती थी तो लिख कर दे दी जाती थी।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, इसमें एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी इस सदन में जो कुछ कहेंगे प्रश्न के उत्तर में या अपनी स्पीच में किसी चीज के क्लै ीफिकेशन के सम्बन्ध में तो उसमें कुछ आधार एश्योरेंस का बन जाता है। तो उस चीज के होते हुए माननीय मंत्री जी के स्वयं खुद कहने के बाद और उस एश्योरेंस में बंधने के बाद फिर यह कहने की क्या जरूरत है कि लिख कर दें, लिख कर दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या एश ोरेंस हो गया है। उदाहरण के तौर पर मेरे मित्रहै। अभी कहा कि अमुक फर्म गबन करके भाग गई है, तो इसमें कई डिटेल्स चाहि कि वह कब भागे या कब नहीं भागे। मैं आप से एक सूचना मांगता हूं तो इसमें क्या कठिनाई की बात है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, अगर आप कहें तो मैं रूलिंग पेश कर सकता हूं। उसमें यह कहा गया है कि अगर इस तरह से उत्तर देने में विवरण की आवश्यकता है तो उसमें यह कहना चाहिये कि नोटिस की आवश्यकता है। लेकिन यह हमेशा आक्षेप के तौर पर मानों जैसे सदस्य कोई गलत सूचना दे रहा हो जवाब में कहते हैं कि लिखकर दो, लिख कर दो।

श्री अध्यक्ष—

परिस्थिति के अनुसार ही मेरी रूलिंग हुई होगी वह आपको मिल जायगी। (श्री बांकेलाल के खड़े हो कर यह कहने पर कि मेरी भी सुन लें श्रीमन्,) मैं जब खड़ा हूं तो आपको नहीं बोलना चाहिये। आप बठिये। अगर उनको न मालूम हो तो बार बार मैंने यह कहा है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिये बल्कि उनको कहना चाहिये कि उसके लिये सूचना की आवश्यकता है। सूचना दीजिये। लेकिन अगर कोई चीज डेफ़िनिटली माननीय सदस्य कहते हैं और उसके विषय में उनको नहीं मालूम है तो उसके बाद वे ऐसा कह सकते हैं कि आप लिख कर दे दीजियेगा तो उस विषय में जांच करा लेंगे। जैसे गबन का मामला माननीय सदस्य ने उठाया था तो उन्होंने कहा कि आप डिटेल्स में लिखकर मामले को दे दे तो मैं उस विषय में जांच करा लूंगा। तो यह कहने में कोई अनुचित बात नहीं है और जिस रूलिंग के बारे में आप कह रहे हैं आप उसे तो यह कहने में कोई अनुचित बात नहीं है और जिस रूलिंग के बारे में आप कह रहे हैं आप उसे मेरे कक्ष में दिखाने की कृपा करें।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

जब मंत्री लोग जवाब नहीं दे पाते हैं तब कहते हैं कि माननीय सदस्य लिख कर दें। मेरा कहना यह है कि आप सही ढंग से दोबारा पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस और किताबों को देखिये और व्यवस्था दीजिये कि उन्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिये।

(श्री अध्यक्ष ने ता० प्र० १३–१४ का उत्तर देने के लिये माननीय राजस्व मंत्री का आवाहन किया किन्तु उनकी अनुपस्थिति के कारण)।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन का अपमान है। मैं इसके लिये उनके खिलाफ़ ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि मंत्री जी नहीं हैं उनके खिलाफ़ ब्रीच आफ़ प्रिविलेज की कार्यवाही होनी चाहिये। मैं उसकी सूचना देता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

आपने जब माल मंत्री का नाम पुकारा तो चूंकि खुद मालमंत्री जी मौजूद नहीं हैं और ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी कैबिनेट की है कोई भी मंत्री खड़े होकर उसका जवाब दे सकते थे चाहे कुछ भी देते लेकिन आपके द्वारा पुकारे जाने पर भी कैबिनेट की तरफ़ से कोई खड़ा नहीं हुआ। यह इस सदन का अपमान हुआ है और इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपका यह कहना बिलकुल सही है कि मंत्रियों को हाजिर रहना चाहिये और यहां पर जानकारी देनी चाहिये। मेरे पास एक चिटठी आयी है कि उन्हें एक वक्तव्य देना था पर वे कानपुर जायेंगे और आज दोपहर को १ बजे के बाद आवेंगे, और शाम को वक्तव्य देंगे लेकिन

[श्री अध्यक्ष]

उन्होंने प्रश्न के बारे में कुछ नहीं लिखा। उनको चाहिये था कि यह प्रश्न किसी दूसरे मंत्री को दे देते। अब आने के बाद में उनसे पूछूंगा क्योंकि यह अनुचित बात है, बात स्पष्ट हुई है।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मंत्री जी का यह कांडक्ट सदन का अवमान नहीं है? मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। वह दूसरी बार अनुपस्थित हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब मैंने तो उसके लिये व्यवस्था दे ही दी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन, वह बहुत बूढ़े जईफ़ हो गये हैं और उनको अपने दफ्तर से यहां तक आने जाने में तकलीफ़ होती है। तो उनके यहां तक आने जाने के लिये किसी डोली की व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—

सुझाव तो बहुत अच्छा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं इस गफ़लत के लिये आपसे और सदन से क्षमा याचना करता हूं। मेरा ऐसा खयाल है कि वह भ्रान्ति में थे कि शायद आज उनका यहां प्रश्न नहीं है। जब उन्होंने वक्तव्य के लिये लिख कर भेजा कि आयेंगे तो देंगे तो इस प्रश्न के विषय में वह उपेक्षा करते ऐसा समझा नहीं जा सकता। यह भूल हुई है। उनको इसका पता नहीं रहा। मनुष्य से भूल हो जाती है सिवाय इसके कि उदारतापूर्वक आप क्षमा करें मैं इससे और अधिक क्या कह सकता हूं। भविष्य में दूसरी ऐसी भूल नहीं होगी।

श्री गोविन्द सिंह—

यह अफ़सोस जो उप मुख्य मंत्री जी की ओर से जाहिर किया गया है यह पूरे मंत्रिमंडल की तरफ़ से है या व्यक्तिगत है?

श्री अध्यक्ष—

यहां पर जब उप मुख्य मंत्री जी उस बात को व्यक्त कर रहे हैं तो सारे कबिनेट की तरफ़ से समझा जाय।

श्री दीपनारायण मणि—

श्रीमन, इस प्रश्न को कल के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को कल के लिये स्थगित किया जाता है।

**१३–१४—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित), श्री प्यारेलाल तथा श्री हरवंश सहाय—

[मंत्री जी की अनुपस्थिति पर २६–८–६९ के लिये स्थगित किये गये।]

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

इलाहाबाद के कमला नेहरू अस्पताल की नर्स श्रीमती जगवती शर्मा के साथ ज्यादती

*१—श्री श्यामसूरत—

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि क्या २५ जून, १९६९ को जिला इलाहाबाद के श्री जे० सी० वार्षणेय, एडीशनल रीजनल कंसिलिएशन आफ़िसर ने कई गुन्डों के साथ जिला इलाहाबाद के कमला नेहरू अस्पताल की नर्स श्रीमती जगवती शर्मा के सामान को मकान नं० ३६/४१, दिलकुशा, नया कटरा, इलाहाबाद में जबरदस्ती घुस कर फेंका तथा उक्त नर्स को उसी मकान में ताला बन्द करके लगभग २४ घंटे तक कैद करके उसे अन्न जल व दैनिक क्रियाओं से वंचित रखा, यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

जिलाधिकारी, इलाहाबाद के माध्यम से मामले की जांच की जा रही है।

श्री श्याम सूरत—

क्या माननीय मन्त्री जी को जुलाई के पहले सप्ताह में इस मामले के बारे में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन, जुलाई के पहले हफ्ते में जो पत्र प्राप्त हुआ उसकी अधिकारी द्वारा जांच कराई गई। जैसा कि मैंने अपने मूल उत्तर में कहा है कि जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा जांच करा रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दिये जाने के बाद कल ही जिलाधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उसमें उन्होंने कहा है कि श्री जे० सी० वार्षणेय, एडीशनल रीजनल कंसिलिएशन अफ़सर मकान नम्बर ३६/४१, दिलकुशा, नया कटरा इलाहाबाद के एक हिस्से में २५ जून को अपने सामान सहित प्रविष्ट हुये और उस हिस्से से श्रीमती जगवती शर्मा का सामान तीसरी मंजिल में रखाया। यह सही नहीं है कि श्रीमती शर्मा को ताला बन्द करके लगभग २४ घंटे तक बन्द रखा और अन्न-जल तथा दैनिक क्रियाओं से वंचित रखा। श्री वार्षणेय से वहां पुलिस के अधिकारियों ने २६ तारीख को समझा बुझा कर मकान खाली करा दिया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या यह सही है कि यह एडीशनल रीजनल कंसिलियेशन अफ़सर श्री वार्षणेय इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं और अभी गाजीपुर से स्थानान्तरण करके यहां पर भेजे गये हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह सही है कि उनका एक मकान दिलकुशा, नया कटरा, इलाहाबाद में है लेकिन उनका होम डिस्ट्रिक्ट सरकारी फ़ाइल में अलीगढ़ जिला है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस नर्स का सामान निकाल कर दूसरी मंजिल में रखा गया वह नर्स कितने समय से इस मकान में रहती थी और वह किन कारणों से निकाली गयी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह मकान श्रीमती जगवती शर्मा के जीजा के नाम में अलाटेड था, श्री शंखधर के नाम यह अलाटेड था। श्री जे० सी० वार्षणेय ने बेदखली के लिये अदालत दीवानी में रेंट कंट्रोल से अनुमति मांगी और उनको कंट्रोलर के यहां से इजाजत मिली लेकिन बाद में कमिश्नर, इलाहाबाद ने २५ अप्रैल को यह आदेश रद्द कर दिया। बाद में वार्षणेय ने, जब वह इलाहाबाद गये तो रेंट कंट्रोलर से कहा कि मकान का एक हिस्सा खाली हो गया है उस पर कब्जा लेने की इजाजत दी

जाय तो रेन्ट कंन्ट्रोल अफ़सर ने उनको इजाजत दे दी। जब एक आदेश के आधार पर इस मकान पर कब्जा है तो यह उनका कब्जा गलत है। मकान खाली नहीं था यह सही है।

श्री श्यामसूरत---

जिलाधीश की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि श्री जी० सी० वार्षणेय ने अनधिकार कब्जा कर लिया और मंत्री जी भी स्वीकार करते हैं कि बिना बेदखल किये कब्जा करना गलत है, तो क्या उनके खिलाफ़ मंत्री जी कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

इसमें दिक्कत यह है कि यह श्रम विभाग से संबंधित मामला नहीं है, इसलिये श्रम विभाग सीधे इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, लेकिन इनके स्थानान्तरण करने का विचार किया जा रहा है और साथ ही इनकी चरित्र पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करने का भी विचार है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, किसी विभाग के मंत्री से जब सवाल किया जाता है तो उस विभाग के मंत्री से नहीं बल्कि सरकार से प्रश्न होता है और निश्चित यहां की व्यवस्था है कि वह इस तरह का जवाब नहीं दे सकते हैं कि हमारे विभाग का नहीं है, दूसरे विभाग से संबंधित है। तो इसमें जब जानकारी दी गयी कि कानूनी कार्यवाही करेंगे तो वे इस प्रकार जिम्मेदारी किसी दूसरे पर टाल देना चाहते हैं। तो आप इस पर व्यवस्था दें और साथ ही उनसे जवाब दिलायें कि वह कानूनी कार्यवाही करेंगे या नहीं।

श्री अध्यक्ष---

जवाब देने का प्रश्न नहीं है। यह फ़ैसला पहले भी दिया जा चुका है कि सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता कि सरकार किस किस्म के जवाब दें। प्रश्न सिर्फ़ इतना है कि उत्तर बहुत स्पष्ट है कि श्रम विभाग से तो कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन उन्होंने उत्तर दूसरे मंत्री की तरफ़ से दिया है---जो वे कर सकते हैं, यानी पूरे मंत्रिमंडल की जब उनकी जिम्मेदारी है तो कोई न कोई उत्तर आना चाहिये कि इसके खिलाफ़ यह करेंगे। यह उन्होंने बता दिया, तो आक्षेप नहीं होना चाहिए।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

क्या मंत्री जी इस बात की पुनः जांच करायेंगे कि श्रीमती जगव ी शर्मा २६ घंटे तक कैद रहीं और जिलाधीश महोदय, जिला कप्तान महोदय और नगर के हजारों व्यक्ति वहां पर पहुंचे? जिलाधीश न अपनी आंखों से देखा कि यह बहिन २६ घंटे तक कैद रही तो क्या आश्वासन देंगे कि पुनः जांच करायेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

चूंकि माननीय सदस्य इतने बलपूर्वक कहते हैं, मैं इसकी अवश्य जांच करा लूंगा, लेकिन जिला अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है वह यह है---

" She was not under any confinement, but obviously her movements were restricted as Sri Varshanes, family had accupied the two rooms closed."

श्री उदितनारायण---

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बातें निश्चयपूर्वक सिद्ध हो जाने के बाद कि इन्होंने सूचना अधिकारी स्वयं होते हुए गलत सूचना दी और कहा कि यह मकान खाली है---नम्बर १-नम्बर २; उसके घर पर जाकर उस महिला की बेइज्जती की, उसका मकान से सामान निकाल कर फेंक दिया गया। किसी को बे-घरबार कर देना साधारण काम नहीं है जबकि

वह महिला थी और वे सरकारी कर्मचारी हैं। तो क्या मंत्री जी समझते हैं कि इनकी चरित्र जिका में प्रतिकूल एंट्री दे देना पर्याप्त होगा? मैं समझता हूं कि यह गम्भीर अपराध उन्होंने किया है और उसके खिलाफ कोई सजा देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो फैक्ट के बारे में कह दिया कि उसकी जांच करेंगे।

श्री उदितनारायण—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनको सजा देने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया कि सामान फेंक दिया या बाहर कर दिया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह कहा है कि सामान तीस ी मंजिल पर डाल दिया और यह भी स्वीकार है कि यह उसने गलत किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन, जैसा मैंने कहा कि यह श्री वार्ष्णेय श्रम विभाग के कर्मचारी हैं और एडिशनल रीजनल कंसीलियेशन आफिसर हैं तो जो इन्होंने गलती की, या भूल की या ब्लन्डर की, वह श्रम विभाग के दैनिक का स संबंधित नहीं था। जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि इट इज व्हाट इवर श्री वार्ष्णेय डिड वाज इन हिज परसनल कैपेसिटी। तो उन्होंने जो कुछ किया अपने व्यक्तिगत ढंग से किया। यह सब होते हुए भी उनकी चरित्र स्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करन जा रह हैं और इलाहाबाद से इनका स्थानान्तरण विचाराधीन है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, एक आपसे स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि एक प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री जी ने एक स्टेटमेन्ट पढ़ा था वह भी अंग्रेजी में था और आज भी माननीय श्रम मंत्री जी ने जो रिपोर्ट मंगाई है वह अंग्रेजी में है जबकि यह कहा जा चुका है कि यहां से लिखा-पढ़ी नीचे के अधिकारियों से हिन्दी में होती है तो ऐसा क्यों हो रहा है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य चाहें तो मैं उसका अनुवाद हिन्दी में कर दूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सरकार के आदेश होने के बावजूद भी....

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अभी मैं जवाब पूरा नहीं दे पाया। मै प्रश्न के एक अंश का ही उत्तर दे पाया था। जिलाधिकारी, इलाहाबाद को लिखा जा रहा है जो उन्होंने अंग्रेजी में रिपोर्ट ी है कि भविष्य में वह सावधानी बरतें और भविष्य में अंग्रेजी न लिखें।

श्री दीपनारायण मणि—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी ने अंग्रेजी में पढ़ा कि "शी वाज नाट कनफाइन्ड बट हर मूवमेन्ट वाज रिस्ट्रिक्टेड।" अगर इसका अनुवाद हिन्दी में किया जाय तो इसमें कोई अन्तर नहीं है कि वह कैद में थी जबकि यह कहते हैं कि कैद में नहीं थी बल्कि उसका मूवमेन्ट रिस्ट्रिक्टेड था। तो क्या यह हाउस को मिसगाइड करना नहीं है?

नोट—नियम २९ (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

क्षेत्र समितियों में प्रमुखों के रिक्त स्थान

*२—श्री मोतीलाल (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी क्षेत्र समिति यों के प्रमुख गत मध्यावधि चुनाव में विधायक चुने गये तथा उनके रिक्त स्थानों पर प्रमुखों का चनाव कब तक सम्पन्न होगा ?

न्याय मंत्री (श्री स्वामी साद सिंह)—

२९ क्षेत्र समितियों के प्रमुख मध्यावधि चुनाव में विधायक चुने गये हैं। ४ रिक्त स्थान भरे जा चुके हैं। १ रिक्त स्थान के भरने की कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेश से रोक दी गई है। शेष २४ रिक्त स्थानों की पूर्ति की कार्यवाही जिलाधिकारियों द्वारा कराई जा रही है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

एटा तथा अन्य जेलों में सुविधायें

*१—श्री चिरंजी लाल (जिला एटा)—

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जेल कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों एवं बन्दियों के मनोरंजन के लिये वाचनालय, पुस्तकालय, पार्क, समुचित रोशनी तथा पीने के लिये स्वच्छ पानी की सुविधा प्रदेश की कितनी जेलों में उपलब्ध है और जिला जेल, एटा में इनमें से कोई सुविधा प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार इसके लिये कब तक प्रबन्ध कर देगी ?

कारागार मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

जी हां, प्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५७५–५७६ पर)

माताटीला बांध के ठेकेदारों से बिक्री-कर की वसूली

*२—श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माताटीला बांध, जिला झांसी के तीनों डिवीजनों में जिन ठेकेदारों के पास वित्तीय वर्ष १९६६–६७, १९६७–६८ तथा १९६८–६९ में मिट्टी तथा रेत सप्लाई करने का ठेका रहा है क्या उनसे बिक्री–कर का पूरा धन सरकार को प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो प्रत्येक के पास कितना-कितना धन बकाया है और उससे अब तक वसूल न कर पाने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

माताटीला बांध जिला झांसी में वर्ष १९६६–६७, १९६७–६८ तथा १९६८–६९ में जिन ठेकेदारों ने गिट्टी तथा रेत सप्लाई करने का ठेका लिया था उसमें से केवल एक ठेकेदार से वर्ष १९६६–६७ में ४००० रुपया बिक्री-कर के रूप में प्राप्त हुआ है। अभी तक किसी ठेकेदार का अन्तिम कर निर्धारण नहीं हुआ है, यह निश्चित नहीं किया जा सकता।

जिला जेल, जालौन, उरई का निरीक्षण

*३--श्री कल्यान सिंह--

क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि १२ जून, १९६९ को जिला जेल, जालौन (उरई) का निरीक्षण न्याय मन्त्री द्वारा किया गया ? यदि हां, तो उनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार जेल में क्या-क्या अनियमिततायें मिलीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अजीतप्रताप सिंह--

जी नहीं। मंत्री जी ने ११ जून को निरीक्षण किया था जिसमें बंदियों को दिये जाने वाले भोजन की मात्रा में कमी पाई गई जिसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करवाई जा रही है और जेलर का स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।

[२५ अगस्त, १९६९ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिये गये।]

विकास क्षेत्र, धनौरा के प्रमुख, श्री पुरुषोत्तमदत्त के विरुद्ध कार्यवाही

*३--श्री महीलाल तथा श्री महेन्द्र सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास क्षेत्र धनौरा जनपद, मुरादाबाद के वर्तमान प्रमुख के विरुद्ध चुनाव याचिका में निर्णय हुआ था, जिसके सम्बन्ध में प्रमुख जी ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट पिटीशन किया था, जो कि १३ जुलाई, १९६७ को माननीय न्यायाधीश की पीठिका ने अस्वीकृत कर दिया था, परन्तु प्रमुख जी अभी तक अपने स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय के अपमान करने के अपराध में प्रमुख जी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां। माननीय हाईकोर्ट ने दिनांक १३-७-६५ को श्री पुरुषोत्तम दत्त की रिट पेटीशन को अस्वीकार कर दिया था। दिनांक ३०-७-६९ को श्री पुरुषोत्तम दत्त से प्रमुख पद का चार्ज ज्येष्ठ उप प्रमुख को दिला दिया गया है।

जहां तक उच्च न्यायालय के अपमान करने के अपराध में श्री पुरुषोत्तम दत्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का सम्बन्ध है शासन द्वारा इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

नैनी के उप जेलर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

*४--श्री रामगोपाल संड तथा श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)--

क्या जेल मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विगत दिसम्बर, १९६८ में नैनी जेल में अध्यापकों पर किये गये लाठी चार्ज के सम्बन्ध में उसकी जो जांच कराई थी उसके फलस्वरूप सम्बन्धित किन-किन अधिकारियों को दण्ड दिया गया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

आयोग ने जांच के फलस्वरूप शासन द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने की संस्तुति नहीं की है। केवल एक उप जेलर के सम्बन्ध में कुछ जल्दबाजी से काम लिये जाने का उल्लेख आयोग ने रिपोर्ट में किया है। इस सम्बन्ध में उप जेलर के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश कारागार महा निरीक्षक को दिये गये हैं।

लोकल फण्ड एकाउण्ट्स के एकाउण्टेन्ट्स की परीक्षा

*५--श्री चिरंजी लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर सन् १९६८ में लोकल फण्ड एकाउण्ट्स के एकाउन्टेंट्स की परीक्षा ली गई है? यदि हां, तो उसमें कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुये थे?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

जी हां, कुल अठारह परीक्षार्थी सम्मिलित हुये थे।

*६--श्री चिरंजी लाल--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि परीक्षा का परिणाम कब घोषित हुआ और कितने परीक्षार्थी उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हुये?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

परीक्षा का परिणाम १२ जुलाई, १९६९ के उत्तर प्रदेश गजट के भाग ३ में प्रकाशित हुआ और इसमें तीन परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये।

*७--श्री महेन्द्र सिंह--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त किया गया।]

*८-९--श्री आशाराम इन्दु--

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१०-११--श्री अनन्तराम जायसवाल--

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

पटेल समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

*१२--श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में पटेल आयोग की सिफारिशों को वह कब लागू करने जा रही है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

पटेल समिति की संस्तुतियों के आधार पर देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर एवं गाजीपुर जिलों में वर्ष १९६४-६५ से ही कार्य किया जा रहा है। वर्ष १९६६-६७ से बलिया एवं बस्ती जिले भी उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिये गये हैं।

पर्वतीय विकास परिषद् के पदाधिकारियों के अधिकार

*१३--श्री नगीना सिंह--

क्या सरकार पर्वतीय विकास परिषद् के पूर्णकालिक पदाधिकारियों को कुछ प्रशासनिक अधिकार देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से तथा क्या-क्या?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

पर्वतीय विकास परिषद् का कोई पदाधिकारी इस समय पूर्ण कालिक नहीं है। परिषद के प्रशासनिक ढांचे पर अभी विचार हो रहा है। फिलहाल निर्णय यह है कि मुख्य सचिव पदेन मुख्य कार्याधिकारी होंगे।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के पद

*१४--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या श्रम मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कुल कितने पढ़ाने वाले कर्मचारियों के पद स्थायी हैं और उनमें से कितने पदों पर लोगों को स्थायी किया जा चुका है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में ८६७ पढ़ाने वाले कर्मचारियों के पद स्थाई हैं और उनमें से १६५ पदों पर लोगों को स्थाई किया जा चुका है।

*१५—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या श्रम मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण में जब अनुदेशक पर्यवेक्षक के पद पर उन्नति करके जाते हैं तो उनका अधिकतम वेतन क्या कम हो जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। इसका कारण यह है कि वेतन अभिनवीकरण समिति तथा अनामोली कमेटी की सिफारिश पर अनुदेशक के पद का वेतन क्रम तो पुनरीक्षित हो चुका है परन्तु पर्यवेक्षक के पद का वेतन क्रम इसीलिये नहीं पुनरीक्षित किया गया क्योंकि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार पर्यवेक्षक के पद को समाप्त करने का प्रस्ताव मान लिया गया है।

*१६—श्री कृष्ण स्वरूप, श्री मोहन लाल कपूर तथा श्री देवकीनन्दन विभव—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर जिला जेल से प्रोबेशन पर रिहा कैदी

*१७—श्री उपेन्द्रनाथ (जिला कानपुर)—

क्या कारागार मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्रिजनर्स आन प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ के अन्तर्गत कानपुर जिला जेल के कितने बन्दियों के प्रार्थना-पत्र सरकार को १ जनवरी, १९६६ से १ जुलाई, १९६९ तक प्राप्त हुए और उन पर कितने बन्दी प्रोबेशन पर छोड़े गये?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

उक्त अवधि में तीन बंदियों के प्रार्थना पत्र-प्राप्त हुए थे जिनमें से एक बन्दी छोड़ा गया।

*१८—श्री चेतराम गंगवार—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त किया गया।]

*१९-२०—श्री रामदेव तथा श्री रामकिंकर—

[५वें शुक्रवार के लिये प्र० सं० ५०-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पिथौरागढ़ में स्थानीय निकायों का चुनाव

*२१—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह पिथौरागढ़ में जिला परिषद् के गठन हेतु वहां क्षेत्र समितियों तथा गांव पंचायतों का चुनाव कब तक करने जा रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पिथौरागढ़ में जिला परिषद, क्षेत्र समितियों तथा गांव पंचायतों के निर्वाचनों की तिथियों का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

राजस्व परिषद् के एकाउण्ट्स आफिसर को पेन्शन न मिलना

*२२—श्री कन्हैयालाल सोनकर—

क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् के ऐसे भूतपूर्व कर्मचारी कौन-कौन हैं कि जिन्हें एकाउन्ट्स आफिसर पद से रिटायर हुये ६ वर्ष से अधिक हो गया है परन्तु उन्हें अभी तक पेन्शन मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ। अब तक पेन्शन न दिलाये जाने का कारण क्या है तथा कब तक देना प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

राजस्व परिषद् के केवल एक ही ऐसे भूतपूर्व कर्मचारी हैं जिन्होंने एकाउन्ट्स आफिसर के पद पर काम किया है और इनको अभी तक पूर्ण पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी है। परन्तु इनको ऐन्टिसिपेट्री पेंशन जो देय पेंशन की आधी होगी सन् १९६२ में स्वीकार की गई थी और सन् १९६३ में इन्हें ऐन्टिसिपेट्री ग्रेच्युटी भी स्वीकृत की जा चुकी है। पूर्ण पेंशन न स्वीकार किये जाने का कारण उनके सेवाकाल में जब वह खाद्य तथा रसद विभागों में सहायक क्षेत्रीय लेखा अधिकारी ३ सितम्बर, १९४८ से २ नवम्बर, १९५१ तक थे, २६,००० रु० का गबन पकड़ा गया था जिसके संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है और जो अभी समाप्त नहीं हुई है।

अतारांकित प्रश्न

१–२—श्री जगदीश गांधी—

[६ठें गुरुवार के प्रश्न सं० १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

* * * *

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं प्रश्नों के संबंध में। सदन की यह परम्परा रही है कि प्रश्नों के समय में व्यवस्था नहीं होती थी और अब मैं आज यह देख रहा हूं कि प्रश्न आ नहीं पाते और व्यवस्था हो जाती है और फिर स्वाभाविक है कि आप उसका जवाब देते हैं तो प्रश्नों का अमूल्य समय व्यवस्था में चला जाता है। प्रश्नों के संबंध में जो बात हो, उसको बाद में रखें तो प्रश्नों के लिये अधिक समय मिलने लगेगा।

श्री अध्यक्ष—

अगर उसी प्रश्न के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तो मैं लाचार हूं क्योंकि यह नियम है कि लोग उठा सकते हैं। यदि लोग न उठावें तो अच्छा है, समय बच जायगा।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मंत्री महोदय जी के उत्तर से यह स्पष्ट हो गया है कि श्री वार्ष्णेय जी ने अदालत का सहारा लिया था बेदखल करने के लिये, लेकिन उनको उसमें कामयाबी नहीं मिली। दूसरे उन्होंने यह गलत सूचना दी डी० एस० ओ०, इलाहाबाद को कि यह पोर्शन खाली है, तीसरी चीज यह कि उन्होंने अपने आफिस के कर्मचारियों को इस बेदखली में इस्तेमाल किया। तो आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जो आगे जांच की जाने वाली है, उसमें इन सभी पहलुओं पर भी जांच की जाय और फिर सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

सदन की समितियों के चुनाव के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मैं माननीय संसदीय मंत्री जी से इस सप्ताह का कार्यक्रम नियम २४ के अन्तर्गत जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसके पहले मैं थोड़ी-सी बात कहना चाहता हूं। मुझे थोड़ी-सी सूचना देनी है। जो मेटियां इस सदन में बनती हैं उसके सम्बन्ध में यह निश्चय हुआ है कि ३० अगस्त तक माननीय दस्य नामिनेशंस दे दें। १० सितम्बर तक नाम वापस लेने की सीमा की गयी है। कार्य त्रणा समिति ने यह तय किया था कि १२ तारीख को अगर आवश्यकता पड़े तो चुनाव होगा। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि एक दिन में चुनाव नहीं होता है कमेटियों का।

श्री वी वी० गिरि के राष्ट्रपति के पद पर चुनाव पर बधाई के प्रस्ताव पर विचार की मांग

श्री अध्यक्ष—

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन में जगदीश गांधी जी ने यह प्रश्न उठाया था कि सदन की ओर से माननीय राष्ट्रपति जो चुने गये हैं उनको बधाई देनी चाहिये। उसके विषय में यह है कि जिस-जिस व्यक्ति ने यह प्रश्न उठाया, उन्होंने मुझे बगैर प्रस्ताव भेजे उठाया। जगदीश गांधी जी ने भी उस समय यह प्रश्न उठाया जब कि नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाओं का समय होता है और जिसे मैं हल्ला-गुल्ला का समर्थन मानता हूं। उस समय बहुत से लोग बोलना शुरू कर देते हैं। जब जगदीश गांधी जी ने वह प्रश्न उठाया तो मैं समझा कि किसी प्रश्न ५१ के अन्तर्गत वह टीका करना चाहते हैं, इसलिये मैंने उनका नाम पुकार लिया। मैं यहां से उसी दिन झांसी चला गया और रास्ते में नेशनल हेराल्ड पढ़ा जिसमें लिखा था कि प्रस्ताव को एक्सपंज करने का आर्डर दे दिया। ऐसा नहीं था। मुझसे पूछे बगैर वे बोल रहे थे, किसी पर हमला कर रहे थे, सिन्डीकेट पर। तो खाली बधाई का प्रस्ताव ही नहीं था, राजनीतिक भी था। ऐसा भी मैंने कहा है कि जो लोग बगैर पूछे हुए बोलना शुरू करेंगे उनका भाषण लिखा न जाय। तो कोई एक्सपंज करने का सवाल नहीं। राष्ट्रपति का स्थान सबसे ऊंचा स्थान है, आदरणीय स्थान है। इन्दिरा गांधी जी ने भी कहा था कि कोई भी राष्ट्रपति चुना जाय, चाहे श्री गिरि या श्री रेड्डी, उनकी मान मर्यादा रखनी चाहिये। उनके प्रति चुटकुले की तरह से बधाई का प्रस्ताव रख दिया तो मेरी दृष्टि से वह राष्ट्रपति का अपमान है। राष्ट्रपति को बधाई देना है, मैं खुद भी दे चुका हूं, तो वह सदन में सर्वसम्मति से होना चाहिये और जो तरीका हमने अभी तक अपनाया है और मेरी रूलिंग्स भी हैं उसके अनुसार होना चाहिये। जो नेता सदन हैं, नेता विरोधी दल हैं और और भी नेता अन्य दलों के हैं ये सब लोग इस विषय में बना लें और सदन के नेता बधाई का प्रस्ताव दे दें तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा और वह एक इज्जत की बात होगी, राष्ट्रपति के प्रति आदर प्रदर्शन की बात होगी। मुख्य मंत्री जी तो हैं नहीं, उप मुख्य मंत्री जी विचार कर लें। श्री जगदीश गांधी ने मेरे पास आज इस आशय का प्रस्ताव भेजा है कि राष्ट्रपति के चुनाव पर उन्हें बधाई का प्रस्ताव भेजा जाय और इसके लिये उन्होंने अध्यक्ष की अनुज्ञा चाही है। इस संबंध में पहले भी निर्णय हो चुके हैं। मैं एक निर्णय पढ़ कर सुनाता हूं। यह निर्णय सन् १९६५ का है।

"२६ अगस्त, १९६५ को कुंवर श्रीपाल सिंह ने भारतीय सेनाओं को धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा चाही जो पाकिस्तान की दो चौकियों पर कब्जा करने से संबंधित था। इसको अध्यक्ष ने अस्वीकार करते हुये कहा कि ऐसे जितने प्रस्ताव होते हैं, जैसा मैं आदरणीय सदन के सामने कह चुका हूं, सब नेता लोग मिल लें और आपस में पहले बात कर लें तभी वह सदन के समक्ष आना चाहिये।"

एक बार फिर कुंवर श्रीपाल सिंह ने यह प्रश्न उठाया था। बधाई का प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी के परामर्श से दिया जा सकता है और उनकी तरफ से ही प्रस्ताव होना चाहिये, ऐसा मैंने फैसला दिया था।

राष्ट्रपति का पद एक बड़ी इज्जत का स्थान है और हमें उसी तरह से देखना चाहिये, मजाक की तरह से, या किसी पर टीका करने के लिये नहीं, या एक दूसरे पर इंसिनुएशन्स लगाने के विचार से नहीं होना चाहिये। ऐसे मामलों पर माननीय सदस्य सदन में बोलने लगते हैं, यह अनुचित है। माननीय उप–मुख्य मंत्री यहां बैठे हैं वे इस पर विचार करेंगे और मैं समझता हूं कि सदन के और नेता गण भी इस विषय पर विचार करेंगे। विचार करने के पश्चात् जब वे इस प्रकार का प्रस्ताव लायेंगे तो उसको उपस्थित करने की मैं सहर्ष और बड़ी खुशी के साथ मंजूरी दे दूंगा।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या उप मुख्य मंत्री मुझे भी कुछ कहने का मौका देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रस्ताव मेरे पास है । अब इस संबंध में आप उप-मुख्य मंत्री को बोलने दें ।

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

हम सब आपके कृतज्ञ हैं कि आपने सदन के सम्मुख यह परामर्श रखा और यह परामर्श दिया और साथ ही मार्गदर्शन भी किया । यह बात सही है कि राष्ट्रपति के चुनाव हो जाने क बाद यदि राष्ट्रपति को बधाई देनी है तो वह सारे सदन की ओर से ही दी जानी चाहिये । राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा और गरिमा के अनुसार और इस सदन की प्रतिष्ठा के अनुसार यदि सर्वसम्मति से प्रस्ताव हो तो यही उपयुक्त होगा । इसका तरीका यही है कि नेता सदन, नेता विरोधी दल और हमारे विरोधी दलों के जो नेता लोग हैं, आपस में परामर्श करके एक प्रस्ताव की रूपरेखा बना लें । तत्पश्चात, सदन में बाकायदा वह प्रस्ताव पेश हो जाय और स्वीकार हो जाय । तो श्रीमन, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । इस संबंध में हम लोग बात कर लेंगे ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

आज शाम को पास कर दें । आपकी कलम से लिखा जाना ठीक है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

तो आज शाम को ही ठीक रहेगा । आपको दिखा करके सदन के नेताओं की राय ले लेंगे । उसके पश्चात् हम आपस में बात कर लेंगे और फिर यहां प्रस्ताव पेश कर दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या बात कहना चाहते हैं ?

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं । मेरा अपना सुझाव है, मुमकिन ह वह आपको स्वीकार हो या न हो । विधान सभा के एक सदस्य ने राष्ट्रपति को बधाई का प्रस्ताव भेजने का सुझाव दिया था । अगर किसी कारण से नेता विरोधी दल, सदन या नेता सदन ने बधाई का प्रस्ताव नहीं दिया और किसी सदस्य ने दे दिया तो उनको सम्मान करने का अधिकार था और बोलने का भी अधिकार था । मेरी समझ में इसमें कोई हल्केपन की बात नहीं है और न कोई नियम का उल्लंघन ही है । नेता सदन उसको ला सकते हैं, यह ठीक है, उसको हम सब लोग मान लेते हैं । अगर किसी माननीय सदस्य ने उस प्रश्न को उठाया था तो कोई नियम में व्यवधान नहीं हुआ और न कोई विशेष बात ही हुयी ।

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल नहीं है । इस संबंध में नियम यह है कि कोई भी बधाई का प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुज्ञा से उठाया जा सकता है । राष्ट्रपति एक महत्ता के व्यक्ति हैं, उनका उच्च कोटि का स्थान है और वे सर्वमान्य हैं । ऐसी चीज जब होती है तो बधाई का प्रस्ताव नेता सदन द्वारा ही उपस्थित होना चाहिये । इसी में इस आदरणीय सदन की प्रतिष्ठा भी है । नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेता लोग आपस में परामर्श करके ऐसा प्रस्ताव लाये यही उचित होगा । अगर इस तरह से बेवक्त कोई उठता है और प्रश्न उठाता है जबकि समय नहीं है, तो निराधार होता है । अब अगर कोई प्रस्ताव भेजता है तो मैं कोई एतराज नहीं कर

रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति ने प्रस्ताव भेजा तो नेता सदन के पास में खुद भेज दूंगा और वह विरोधी दल के नेता से बात कर लेंगे ताकि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जा सके।

श्री जगदीश गांधी—

आपकी इजाजत हो तो मैं दो शब्द कहूं ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रस्ताव को पढ़ कर न सुनावें।

श्री जगदीश गांधी—

सबेरे मैंने साढ़े ८ बजे....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मेरा निवेदन है कि कल राष्ट्रपति अपने पद पर पदासीन हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा को इस प्रस्ताव को पारित करने में देर नहीं करना चाहिये। इसलिये मैं नेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि आज की तिथि में ही यह पास किया जाय क्योंकि कोई कन्ट्रोवर्सियल प्रस्ताव नहीं है।

श्री जगदीश गांधी—

मैं कह रहा था कि सबेरे साढ़े ८ बजे मैंने मान्यवर के पास एक प्रस्ताव भेजा है। उसमें इस माननीय सदन के २० सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। तो श्रीमन्, २० सदस्यों ने जो प्रस्ताव में कहा है उसको पास कर दें या उसमें संशोधन करके पास कर दें। प्रस्ताव आपके पास है। आप लोगों को उसे पढ़ कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं जवाब दे रहा हूं। बात यह है कि मैंने जो कुछ टीका अभी की थी वह पिछले दिन के बारे में थी कि बगैर सूचना दिये और अनुज्ञा लिये ही आप बोलें। एक अखबार में छप गया कि मैंने उसको एक्सपन्ज करने की आज्ञा दी है। तो मेरे पास जब प्रस्ताव नहीं आया था और बगैर इजाजत लिये आप बोले तो मैंने कहा था कि वह न छापा जाय। जहां तक आज के प्रस्ताव की बात है उसको आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में मुझे कोई टीका नहीं करनी है। इस प्रस्ताव को मैं नेता सदन के पास भेज दूंगा और वह नेता विरोधी दल से बात करके तय कर लेंगे कि क्या आना चाहिये और क्या नहीं आना चाहिये। उसके बाद मुझे अधिकार होगा कि मैं उस प्रस्ताव में अगर यह समझूं कि शब्दावली ठीक नहीं है तो संशोधन के साथ में इसकी अनुज्ञा दे दूंगा। तो आपके आज के प्रस्ताव के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। आज आपने पृथक् से भेजा तो इसके ऊपर वह लोग विचार कर लेंगे। जैसा कि आपने कहा, हम भी विचार करेंगे, लेकिन यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से ही पास होगा।

श्री जगदीश गांधी—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि २० सदस्यों ने हस्ताक्षर करके इसको दिया है। मैं इसको पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

जब चुनाव के समय ही लोगों ने अपने-अपने विचार स्पष्ट कर दिये हैं तो इस महत्वपूर्ण पद के लिये अब यदि कोई बात उठाई जाती है और कोई मेम्बर उसकी मुखालफत करता है तो उससे अपमान होता है। तो अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग जैसा चाहें भेजें, इसको सामूहिक रूप से न किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह तो मेरे ऊपर अवलम्बित है, मैं अगर इजाजत देता हूं, तो आप उसके ऊपर आक्षेप नहीं कर सकते हैं। नेता लोगों को इस बात को सोचना है कि बहुत से लोग अगर विरोध करते हैं तो अपमान होगा। तो वह लायेंगे ही नहीं। वह तो सर्वसम्मति से जाना चाहिये। बहुमत से नहीं होना चाहिये।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मान्यवर, श्री रियासत हुसैन की आवाज से अपनी आवाज मिलाते हुये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव के फौरन बाद ही इस सदन को बधाई का प्रस्ताव पास करना चाहिये था, लेकिन किन कारणों से ऐसा नहीं हो सका उसमें मैं नहीं जाता हूं। सौभाग्य से गुप्ता जी यहां पर मौजूद नहीं हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सुनहरा मौका मिल गया है, सुनहरा मौका इस बात का मिल गया है कि अपनी अन्तरात्मा की बात आज पूरी आजादी से कह सकेंगे। इसलिये आज ही बिना किसी विलम्ब के प्रस्ताव को लाया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी का विरोध कुछ भी रहा हो, लेकिन जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाले हैं, जो प्रजातंत्र में बहुमत के सामने मत्था टेकने वाले हैं, वह सब इस बात पर विश्वास रखेंगे कि चाहे वोट किसी को दिया हो, लेकिन जो राष्ट्रपति चुने गये हैं वह सब के हैं, सब उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। यदि किसी प्रकार की हम लोगों में विचार विभिन्नता है तो बाहर देशों में हम थोड़े ही कहेंगे कि हमारे राष्ट्रपति नहीं हैं। इसलिए यह कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिये।

साप्ताहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

उद्योग मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन, जो संशोधित कार्यक्रम है छपा हुआ वह तो बंट गया है। महीलाल जी तो साथ ही थे स कार्यक्रम को तय करने में फिर सभी सदन की जानकारी के लिये मैं इसे पढ़े देता हूं—२५—२६ को वित्तीय वर्ष १९६९—७० के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान, २७ को बैठक नहीं होगी। २८ को ४—३० बजे अपराह्न तक वित्तीय वर्ष १९६९—७० के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान। २८ को ४—३० बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। २९ को विधायी कार्य—(१) उत्तर प्रदेश पथकर अधीकरण विधेयक, १९६९ पर विचार एवं उसका पारण। (२) इस्टेट ड्यूटी ऐक्ट में कृषि भूमि सम्पदा शुल्क से संबंधित संसद द्वारा किये गये आपातकालीन संशोधनों को अधिकृत करने का संकल्प। ३० तारीख शनिवार को विधायी कार्य—(१) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, तथा (२) उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार तथा उनका पारण।

झांसी जिला परिषद् के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए मान्यता न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

*शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

माननीय श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी ने नियम ५१ के अन्तर्गत प्रस्ताव पर शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि जिला परिषद, झांसी द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल द्वारा आवश्यक शर्तें पूरी करने पर भी हाई स्कूल की नवीन मान्यता न मिल सकने के कारण स्थानीय जनता में असन्तोष व्याप्त है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यता के संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ही पूर्णरूपेण विचार कर निर्णय लिया जाता है। जिला परिषद, झांसी द्वारा संचालित निम्नलिखित चार विद्यालयों को १९७१ की हाई स्कूल परीक्षा से मान्यता स्वीकार किये जाने का विषय माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति के सम्मुख २० अगस्त, १९६९ को प्रस्तुत किया गया: १--श्री छत्रसाल जूनियर हाई स्कूल, नारहट। २--श्री लाल बहादुर शास्त्री जूनियर हाई स्कूल, बबीना। ३--श्रीमती गोविन्दा देवी अग्रवाल बालिका जूनियर हाई स्कूल, गुरसराय। ४--श्री महात्मा गांधी जूनियर हाई स्कूल, पुराकलां।

प्राप्त सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ है कि श्री छत्रसाल जूनियर हाई स्कूल, नारहट तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री जूनियर हाई स्कूल, बबीना को परिषद् की मान्यता समिति द्वारा कुछ शर्तों पर मान्यता दी गई है तथा श्रीमती गोविन्दा देवी अग्रवाल बालिका जूनियर हाई स्कूल गुरसराय तथा श्री महात्मा गांधी जूनियर हाई स्कूल, पुराकलां को मान्यता प्रदान नहीं की गई, क्योंकि इन विद्यालयों में भवन, सज्जा, शिक्षण सामग्री इत्यादि का अभाव पाया गया तथा आवर्तक व्यय के बारे में स्वीकृत बजट की प्रतिलिपि भी प्राप्त नहीं हुई है।

मान्यता समिति की कार्यवाही का अनुमोदन अभी संयोजक द्वारा होना है। उनके अनुमोदन हो जाने के पश्चात् विद्यालयों को मान्यता संबंधी निर्णय के आदेश निर्गत किये जायेंगे।

प्रदेश में बाढ़ तथा अतिवृष्टि के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष--

बाढ़ के संबंध में माननीय राजस्व मंत्री शाम को वक्तव्य देंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, जब भी यहां बाढ़ के बारे में चर्चा होती है तो हर दिन या दूसरे तीसरे दिन यहां बाढ़ के बारे में चर्चा होती है। यह जो सूचना आज दी जायेगी यह तीन चार दिन पहले तक की आयी होगी। जो परसों स्थिति थी, उससे आज कहीं ज्यादा भयंकर स्थिति हो गयी है। बस्ती जिले की हालत बहुत खराब हो गयी है। ऐसी स्थिति में जो इस वक्त स्थिति है उस पर माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

आज आयेगा, फिर २९ को फिर देंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

बांसी के बारे में भी श्रीमन्, दे दें।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने व्यवस्था दी थी कि इस बजट के पास हो जाने के तुरन्त बाद आप एक दिन का समय माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार आदि पर बहस के लिये देंगे। सरकारी पक्ष से जो कार्यक्रम की घोषणा की गयी है, उसमें इसके लिये कोई दिन नहीं रखा गया है।

श्री अध्यक्ष--

जो कार्यक्रम उन्होंने रखा है वह तो वह है जो कार्य मंत्रणा समिति ने स्वीकार किया है जो ३ तारीख तक का है। उसके लिये बाद में दिन रखा जायेगा।

श्री शिवराजसिंह---

उस पर तो सदन का निर्णय हो गया था, बजट के तुरन्त बाद उसके लिये बहस के लिये दिन मिलना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष---

डेट कोई तय नहीं हुई थी । बजट के बाद एक दिन दिया जायेगा ।

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

हम लोगों ने यह तय किया था कि एक दिन का टाइम दिया जायेगा मगर तुरन्त बजट के बाद, ऐसी बात नहीं थी । यह जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें तो आपके दल के माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी की सहमति है । (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

आज के एजेन्डे में देखिये, इसमें लिखा है आइटम नं० ६ में कि कुछ जिलों के बारे में । मुझे ऐसा याद है कि आपने यह स्वीकार किया था कि जो वक्तव्य आयेगा वह पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में होगा और वह काम्प्रीहेन्सिव होगा और फिर विवाद होगा उसके बाद ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने इसे २९ तारीख के लिये रखा था । लेकिन माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि बहुत सी जगह बहुत जोरों की बाढ़ आ गई है, उसके बारे में भी मंत्री जी सूचना दे दें । मैंने उसके लिये २५ तारीख को कहा है कि वक्तव्य दे दीजिये । २९ तारीख को, सब जगहों के लिये जहां बाढ़ें आई हैं, मंत्री जी वक्तव्य देंगे ।

श्री त्रिवेणीसहाय (जिला गोंडा)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विशेष रूप से बलरामपुर की स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहता हूं । बाढ़ के सम्बन्ध में आपने एक आदेश दे दिया कि उस पर वक्तव्य होगा । लेकिन मैं यह चाहूंगा कि प्रदेश में जहां कहीं भी बाढ़ें आई हैं, बलरामपुर से बदतर और भयंकर स्थिति नहीं है । बलरामपुर से बढ़नी तक पचास मील के एरिया में जितनी नदियां हैं, वे सब मिलकर एक हो गई हैं । अभी तक जो समाचार प्राप्त हुए हैं उसकी तरफ़ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह सरकार को कितनी क्षति उठानी पड़ेगी, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता । वहां एक हजार लोग मर चुके होंगे । एक हजार मकान ध्वस्त हो चुके होंगे । यह बाढ़ की स्थिति है । मैं चाहता था कि सदन का सब काम छोड़ करके बाढ़ की स्थिति पर पहिले विचार होना चाहिये था । जब बाढ़ पर सवाल आयें तो बलरामपुर की स्थिति विशेष रूप से देखी जाय ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, इतने दिनों से बाढ़े आई हुई हैं । इस साल जिस कदर भयंकर स्थिति गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच में हैं, वैसी कभी नहीं हुई । लोग अपना गल्ला भी नहीं निकाल सके । कितने जानवर बह गये, इसका अभी तक पता नहीं । राजस्व मंत्री जी अभी यहां पर नहीं हैं । अब बहुत ही भयंकर स्थिति हो गई है । फ़ौज भी आ गई है उससे भी निस्तार नहीं हो सका है । नौगढ़ में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अगर उसका फ़ौज द्वारा निस्तारण नहीं किया गया तो हालत बदतर हो जायेगी । जैसा कि मेरे भाई माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा कि सारा काम बन्द करके इस पर चर्चा करनी चाहिये, मैं यह नहीं कहता । पर मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इसको टाप प्रायोरिटी देनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

बलरामपुर की बाढ़ तथा अन्य जगहों की बाढ़ों के लिये मैंने कह दिया कि आज २५ तारीख के वक्तव्य में उसे सम्मिलित कर लिया जाय ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

ढाई घंटे का समय इस पर चर्चा के लिये दे दिया जाय]।

श्री अध्यक्ष---

किसी और रोज यदि आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

अध्यक्ष महोदय, बहराइच में भी बाढ़ के कारण अत्यन्त क्षति हुई है । मैं निवेदन करूंगा कि इस चर्चा में बहराइच को भी जोड़ लिया जाय ।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)---]

श्रीमन्, इलाहाबाद जिलें में भी भयंकर बाढ़ आई है । चायल के एक ही क्षेत्र में यानी कछारी इलाके में गरीब किसानों ने खेतों में जोत कर दी थी, गुड़ाई भी कर दी थी, वे सब खेत गंगा नदी के अन्दर बह गये हैं । कगार कट-कट कर चले गये हैं । वहां के जिलाधीश ने तो उनको दूसरी जगह बसाने की व्यवस्था कर रहें हैं और न ही वहां दवादारू की व्यवस्था है मनुष्यों या जानवरों के लिये । तो मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर उस संबंध में चर्चा हो या न हो, लेकिन वहां व्यवस्था तो हो जानी चाहिये । मुख्य मंत्री उपस्थित हैं । जिलाधीश वायरलैस से सूचना दें । तमाम सरकारी साधन उपलब्ध हैं । गंगा के कछारी इलाके की व्यवस्था करें, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जायेगा ।

श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा)---

अध्यक्ष महोदय, आज अभी-अभी गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील से सूचना मिलीहै कि राप्ती के भयंकर बाढ़ से सैकड़ों आदमी मर गये हैं, हजारों पशु मर गये हैं, ४०० गांव जलमग्न हो गये हैं और उसकी वजह से बड़ी भयंकर परिस्थिति पैदा हो गयी है, लेकिन सरकार की ओर से कोई इन्तजाम नहीं हो पाया है । इसलिये आपसे निवेदन है कि इस पर बहस के लिये आज सदन में समय मुकर्रर कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

आप सब की बातें विचार के लिये माननीय मंत्री के पास भेज दी जायगी । आज जो वक्तव्य होगा, उसमें सब बातें आ जायेंगीं । उस पर सब लोगों को बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---]

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कल परसों अपने-अपने क्षेत्र में गये थे और वे सब लोग जिनके यहां बाढ़ आ गयी है इससे बड़े परेशान हैं और सभी चाहते हैं कि इस पर विचार हो । इसलिये मेरा सुझाव है कि आज जब माननीय मंत्री जी का वक्तव्य हो जाय तो उसके बाद इसके लिये आज २ घंटे का समय बहस के लिये निकाल दें । क्योंकि आज के कार्यक्रम में साढ़े ५ बजे के बाद कुछ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

आज नियम ५१ के दो हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

नियम ५१ के हैं लेकिन नियम ५२ का कोई नहीं है। तो आज उसके लिये आप टाइम निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

आप जितना वक्त चाहेंगे इसके लिये दिया जायेगा, लेकिन इस वक्त का समय कम से कम न लीजिये।

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

श्रीमन्, मेरे यहां गंगा और बूढीगंगा में बाढ़ आयी हुई है।

श्री अध्यक्ष—

अगर इस वक्त आप समय ले लेंगे तो फिर शाम को कहां से समय मिलेगा। उसके लिये शाम को आपको वक्त दिया जायेगा।

१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान
अनुदान संख्या १४—कारागार तथा अनुदान संख्या ४५—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन

कारागार मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १४—कारागार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,३१,७५,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष—

इस पर शाम को वोटिंग होगी क्योंकि इस पर विवाद नहीं होगा। नं० २ पर भी विवाद नहीं होने वाला है, इसको भी आप प्रस्तुत कर दें।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, अब तक तो जिस पर विवाद नहीं होता था, उसको इसी समय समाप्त कर दिया जाता था। ५ बजे इस पर वोटिंग कराने का क्या प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई विवाद नहीं होगा, अगर आप चाहते हैं तो इसी समय उसको समाप्त कर देता हूं। माननीय मंत्री जी दूसरा वाला भी प्रस्तुत कर दें।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४५—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,५३,७६,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १४—कारागार क अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,३१,७५,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी ।)

उपमुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

जो आज का एजेंडा है उस के अनुसार मतदान ५ बजे होना चाहिये. . . . (व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, अब वह प्रश्न कहां से उठ सकता है. . . . . (व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, इस आइटम पर विवाद होना नहीं था, और आगे के अनुदान पर दिन भर विचार होने के बाद शाम को इस पर भी मतदान होना था, लेकिन इसी वक्त इस पर वोटिंग के लिये कहा जा रहा है. . . . (व्यवधान)

श्री धर्म सिंह—

श्रीमन्, आप का निर्णय इस विषय में हो चुका है आपने प्रश्न उपस्थित कर दिया है, इतनी कार्यवाही के बाद. . . . (व्यवधान)

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

जब आपने कह दिया कि 'हां' की संख्या अधिक है या 'नहीं' की संख्या अधिक है तब फिर अब सवाल . . . . (घोर व्यवधान)

(घंटी बन्द होने पर)

श्री धर्म सिंह—

श्रीमन्, घंटी बजने का समय अब समाप्त हो चुका, आप आगे अब सदन के सामने प्रश्न रखें. . .

श्री अध्यक्ष—

यह जो उप मुख्य मंत्री जी ने प्रश्न उठाया है व्यवस्था का है यह बात ठीक है कि अगर पार्टियों में यह अन्डरस्टैंडिंग थी तो फिर उसके ऊपर इस समय वोटिंग व विभाजन का कहां से प्रश्न आता है. . . . (घोर व्यवधान)

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आपने जब 'हां' और 'नहीं' के लिये प्रश्न कर लिया तब फिर अब वोट न लेने का प्रश्न क्या है ?

श्री. धर्मसिंह—

श्रीमन्, जब आपने ग्रान्ट को ले लिया तो 'हां' 'नहीं' का निर्णय यहीं करना चाहिये, उसके बाद आपने निर्णय दे दिया, आप अपनी ही पुरानी प्रोसीडिंग्स को देखें, और अपने सदन के निर्णय को देखें, जिस समय ग्रान्ट पेश होती है तो इस सदन में पिछले २० साल से इसी तरह से वोटिंग होती आई है । यह कभी भी कायदा नहीं रहा कि ५ बजे शाम को वोटिंग हो । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा कर के वोटिंग करायें, अभी करायें ।

उद्योग मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं आदरणीय नेता विरोधी दल और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपस में सब लोगों में यह निर्णय या अन्डरस्टैंडिंग हो गयी तो मुझे कोई

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

एतराज न होता, लेकिन अभी तक यह परम्परा थी कि अगर वाद-विवाद आधे दिन का निश्चित है तो ढाई बजे मतदान होगा और अगर किसी ग्रान्ट पर दिन भर बहस होगी तो शा ा को उस पर ५ बजे मतदान होगा। इसलिए जिस पर विवाद नहीं होना है, उस पर इस समय मतदान का प्रश्न नहीं उठता।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, जब तक आपने इसकी व्यवस्था नहीं दी थी, ये सब बातें आ सकती थीं और कही जा सकती थीं। इस पर कोई बहस हो, या विवाद हो, या चर्चा हो या कोई भाषण हो, अगर आपको कहना था तो आपको इससे पहले कहना चाहिए था।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं इसे आपके ऊपर ही छोड़ता हूं। एक दिन और भी ऐसा हुआ है। उस दिन आपने पढ़ दिया वोट बा. में ली थी। उस वक्त नहीं ली थी, बाद ही में ली थी।

श्री गोबिन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अगर कोई अन्डरस्टेंडिंग थी, तो यह थी कि विवाद नहीं होगा। मतदान के लिए कोई अन्डरस्टेंडिंग नहीं थी।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा यह निर्णय था कि जिन मदों पर विवाद नहीं होगा, उन पर डिवीजन नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न यह था कि जिन मदों पर आधे दिन विवाद होगा, उन पर ढाई बजे और जिन मदों पर दिन भर बहस होगी उन पर शाम के ५ बजे मतदान होगा। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और यह स्वस्थ परम्परा होगी कि अगर कार्य-मंत्रणा समिति कोई बात तय करती है कि इस पर विवाद नहीं होगा तो मतदान नहीं होगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

जो प्रश्न उठा वह यह है कि विवाद नहीं होगा। जहां तक मुझे याद है ग्रान्टस दो प्रकार से आती हैं गिलोटीन में। एक पर विवाद नहीं होता और एक पर होता है। तो जब पहली वाली ग्रान्ट आयी, यह मैं समझता हूं कि इस पर विवाद नहीं होगा। इससे कहीं यह नहीं निकलता कि मतदान नहीं होगा। हाउस आफ कामन्स में यह पद्धति है कि यह दो प्रकार से बिजनेस कमेटी में तय होता है कि विदाउट डिस्कशन और विदाउट डिवीजन। यहां यह निर्णय है कि विदाउट डिस्कशन अर्थात् विवाद नहीं। उसका डिवीजन हो सकता है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जब आपने स्वयं.....

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आप डिवीजन ले चुके हैं। आपने स्वयं एक बार गुलोटीन के लिये ले लिया तो यह प्रश्न नहीं उठता कि डिवीजन हो या न हो तो डिवीजन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। जब आप डिवीजन के लिए आदेश दे चुके, घंटी बज चुकी, तो आप डिवीजन करायें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस सदन में दो तरह से अनुदान पेश किये जाते हैं। एक चार्ज्ड एकाउंट होते हैं। चार्ज्ड एकाउंट के अतिरिक्त जितने अनुदान होते हैं वे सब इस सदन के द्वारा पारित किये जाते हैं और जब तक वे सदन द्वारा पारित नहीं किये जाते हैं तब तक वे पास नहीं माने जायेंगे। आपने इसको प्रश्न के तौर पर उपस्थित कर दिया और हां और न में मतदान भी ले लिया है...

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

आपने मोशन वोट पर रख दिया। सारा का सारा प्रोसेस हो गया और डिवीजन कर लिया गया तो उसे पूरा होना चाहिये।

(व्यवधान)

कई सदस्य—

वोटिंग कराइये नहीं तो हाउस नहीं चलने देंगे।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--

कार्य मंत्रणा समिति ने जब यह तय कर लिया कि इस पर वोटिंग नहीं होगी।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं १५ मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं।

(इस समय १२ बजकर २२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ परन्तु १२ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव ने सभापति का आसन शोरगुल के बीच ग्रहण कर लिया।)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं भाग्यवश अथवा अभाग्यवश सदन में उपस्थित था जब यह सब हुआ। मैं यह समझता हूं कि मतदान की प्रक्रिया जब एक मर्तबा शुरू की गयी, तो उसे पूरा किया जाना चाहिये। प्रक्रियाओं का पूरा करना लोकतंत्रीय पद्धति के तकाजे को पूरा करना ही नही होता बल्कि उनको अपूर्ण रहने से इसका उल्लंघन भी होता है। इसलिये मैं मत विभाजन की मांग को स्वीकार करता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष के बोलते समय ही श्री अध्यक्ष सदन में आ गये।)

श्री रियासत हुसैन—

आप अपना निश्चित निर्णय दें, जब मोशन आपने वोट पर रख दिया।

(सदन में घोर अशान्ति तथा मेजों का बराबर थपथपाया जाना।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय जायसवाल बोल रहे थे।

(हम आपको नहीं बैठने देगें की आवाजें तथा मेजों का थपथपाया जाना जारी)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप क्या चाहते हो ?

("कुर्सी खाली कीजिये" की आवाजें)

(विरोधी पक्ष की ओर से मेजों का पीटना जारी।)

श्री अध्यक्ष--

(श्री चरण सिंह की ओर इंगित करके) आप बोलिये।

(श्री चरण सिंह ने हाथ से मना कर दिया।)

श्री कमलापति त्रिपाठी--

श्रीमन्, हाउस को एडजर्न कर दीजिये ।

(व्यवधान और अत्यधिक शोर तथा और भी जोर-जोर से मेजें थपथपाई जाने लगीं ।)

श्री अध्यक्ष--

शान्त हो जाइये कृपा करके ।

(मेजों की थपथपाहट के साथ सदन में कोलाहल और शोर एवं कुछ सदस्य अपने स्थानों पर खड़े रहे ।)

विरोधी पक्ष के कई सदस्य--

(एक स्वर में) माननीय अध्यक्ष इस्तीफा दें ।

(शोरगुल तथा व्यवधान होता रहा ।)

(करीब १ घंटा २३ मिनट तक सदन में घोर अव्यवस्था व्याप्त रही । बीच-बीच में विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों की ओर से अध्यक्ष के प्रति मानहानिकारक व असंसदीय नारे लगते रहे, शोर मचता रहा और मेजें थपथपाई जाती रहीं । उप मुख्य मंत्री तथा नेता विरोधी दल के मध्य कुछ परामर्श होने के उपरान्त)

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, एक निवेदन है । मेरी प्रार्थना यह है कि आज जैसा कि वातावरण उपस्थित हो गया है .....

बहुत से सदस्य--

खेर साहब को हटाइये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मेरी बात सुन लें । मेरा विनम्र निवेदन यह है कि मेरी बात सुन लें, फिर आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा ।

मैं कह रहा था कि जैसा कि वातावरण इस समय उत्पन्न हो गया है, उसमें सदन का काम होना मुझे असंभव दिखलाई पड़ता है । जो कुछ इस सदन में हुआ है वह सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाता नहीं है । (व्यवधान) इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आज दिन भर के लिये इस सदन को स्थगित कर दिया जाय, (व्यवधान) ताकि हमें अवसर मिले कि विरोधी दल के नेता एवं दूसरे नेताओं से कुछ बातचीत कर सकें, जिस से ऐसा वातावरण बने कि काम हो सके ।

(व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

जब तक मौजूदा स्पीकर बैठे हुए हैं, मैं कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरा ऐसा निवेदन है कि हमारे नेता लोग बैठे हुए हैं, तो नेताओं की बात सुन ली जाय। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस सुझाव को स्वीकार करें कि आज सदन को स्थगित कर दिया जाय। इस से हम लोग आपस में मिल सकेंगे और बातचीत कर सकेंगे कि कोई रास्ता निकल सके और सदन का काम आगे चल सके।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल।

श्री महीलाल—

आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने जो अभी.....

एक सदस्य—

वह अध्यक्ष नहीं हैं .....

श्री चरणसिंह—

लेकिन आज वह कुर्सी पर विराजमान हैं, इसलिये मेरा फर्ज है कि उनको अध्यक्ष महोदय की हैसियत से ही संबोधित करूं। (शोर) तो माननीय त्रिपाठी जी ने जो अभी एक सुझाव दिया, उसके सिलसिले में कुछ भी अर्ज करने के पहले एक बात नम्रता के साथ कहना चाहता हूं। माननीय त्रिपाठी जी की जुबान से यह अलफाज अदा हुए कि हाउस में चूंकि अशोभनीय कार्य हो रहा है उसको देखते हुये सदन को आज के दिन के लिये स्थगित कर दिया जाय। मुझे शब्द "अशोभनीय" के सिलसिले में जरा-सा अर्ज करना है। आज जो कुछ भी हुआ वह कम से कम हमारे प्रदेश की विधान सभा में सबसे पहली बार था और हमारे सबके लिए बड़े शर्म की बात है, सिर हमारा सबका झुक जाना चाहिए। इस तरह से जनतंत्र चल नहीं सकता। जो कुछ भी हाउस में हुआ, उस हाउस के अन्दर केवल आप लोग और हम लोग ही नहीं हैं, इसके अन्दर स्पीकर भी शामिल हैं। मुझे बहुत तखलीफ के साथ कहना पड़ता है कि जो कुछ हुआ है अध्यक्ष महोदय वह आपके कारण हुआ है (शेम-शेम की आवाजें) और मैं कुछ नहीं अर्ज करना चाहता, बहस में नहीं जाना चाहता। माननीय त्रिपाठी जी ने जो सुझाव दिया, वह मुझे स्वीकार है और मैं आशा करता हूं कि अन्य लोगों को भी स्वीकार होगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय, आज की घटना से सचमुच हम सब बहुत दुखी हैं। जो कुछ हुआ वह संसदीय परम्परा के बिलकुल विरुद्ध हुआ। इसके बाद अवसर मिलेगा कहने के लिए। आज के वातावरण को शान्त करने के लिये जो सुझाव हैं उसका मैं समर्थन करता हूं और जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष जी, आज इस सदन में हम लोगों के देखते-देखते जनतंत्र का खून हुआ और जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उसको भी कलंक लगा। (मेजों की थपथपाहट) हम लोग जो जनतंत्र और जम्हूरियत के हामी हैं और चाहते हैं कि जम्हूरी निजाम इस देश में चले उन सबको बहुत-

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

बहुत दुख है। खाली दुख ही नहीं है, आज अपनी कमजोरी पर पश्चात्ताप भी है। मामूली घटना नहीं हुयी। इस सदन को बताने की जरूरत नहीं है कि जो अनुदान हमारे सामने आते हैं वह दो तरह के है---एक भारित और दूसरे मतदेय। भारित अनुदान के लिये वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मतदेय अनुदान हैं उन पर चाहे बहस हो या न हो लेकिन वह उस वक्त तक पास नहीं माने जायंगे जब तक आप प्रश्न के रूप में उपस्थित न करें और मत न ले लें और बहुमत जब उसके पक्ष में आ जाय तभी पास माना जायगा। मान्यवर, आज इस सदन में देखा कि जब उस तरफ से प्रस्ताव आया, जेल के जो अनुदान थे कि यह पास किया जाय और आपने उनको प्रश्न के रूप में हाउस के सामने पेश किया, शाब्दिक मतदान भी उस पर लिया, हां-नहीं में आपने लिया, और जब विपक्ष की तरफ़ से चुनौती दी गयी कि नहीं की आवाज ज्यादा है तो उसका सीधा-सीधा मतलब है कि हमने विभाजन की मांग की। आपको हम क्या बतायें और बताने लायक हमारी उम्र भी नहीं है। हमेशा जब कभी विभाजन की मांग की गयी तो अध्यक्ष ने हमेशा उसकी व्यवस्था करायी, मतदान हुआ, विभाजन हुआ। लेकिन आज जो प्रक्रिया चलायी गयी, वह पुरानी जितनी मिसालें हैं उन सबके बिलकुल प्रतिकूल और उनके विरुद्ध . . .

(शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, जिसने देखा यहां पर, चाहें हम लोग हों, चाहे प्रेस वाले हों, या अधिकारीगण हों, उन सब को, खाली शक ही नहीं, यह विश्वास हो गया और ऐसा आभास मिला कि कांग्रेस सरकार को बचाने के लिये ही मतदान कराने में देरी लगायी जा रही थी। जिस वक्त विभाजन की मांग की गयी थी, उस वक्त निश्चित रूप से कांग्रेस के सदस्यों यानी सरकारी पक्ष के सदस्यों की संख्या कम थी। इस बारे में दो राय नहीं है। (शोर) (कांग्रेस पक्ष से---नहीं-नहीं।) अगर, मान्यवर, उसी वक्त मतदान कराया गया होता तो यह सरकार मान्यवर, आज खत्म हो गयी होती, (व्यवधान) (कई आवाजें---खत्म हो गयी) जहां तक हमारे दल का सवाल है और जो कानूनी स्थिति है उसमें यह सरकार अब है ही नहीं और न ही उसको तस्लीम करना चाहिये। जब आपने अपनी कुर्सी छोड़ी, तो माननीय उपाध्यक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया और उसी कुर्सी से उन्होंने व्यवस्था दी कि सचमुच जब एक प्रक्रिया शुरू हो गयी और एक हद्द तक जा चुकी, तो उसको आखिरी हद्द तक न ले जाना जनतंत्र के विरुद्ध है। यह व्यवस्था उन्होंने दी। (व्यवधान) तो जहां एक ओर सदन में एक अभूतपूर्व घटना यह घटी कि सरकार को बचा लिया गया, प्रक्रिया को रोक करके, वहीं एक ऐतिहासिक घटना भी हुई और उसके कारण, मैं समझता हूं, जनतंत्र के इतिहास में माननीय उपाध्यक्ष का नाम हमेशा-हमेशा के लिये अमर हो गया। यह साधारण घटना नहीं हुई। आज यह सरकार गिर चुकी है। मान्यवर, उस पक्ष के लोगों की अन्तरात्मा की आवाज, यदि वे सुनेंगे, आज पुकार-पुकार कर यही कह रही होगी, जो हम कह रहे हैं, कि जनतंत्र का खून हुआ है और इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। मुझे दो वर्ष पहले की घटना याद आ रही है कि जब कि यहां पर गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर जब माननीय गुप्ता जी ने देखा कि उनके पक्ष की राय कम निकली तो उन्होंने तुरन्त, एक मिनट की भी देर नहीं लगी, इस्तीफा दे दिया। (व्यवधान) उसी तरह से आज माननीय उप मुख्य मंत्री जी को भी, मैं उनकी जनतंत्र की भावनाओं से अपील करना चाहता हूं, अगर वे इस देश में जन तंत्र को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें भी यही करना चाहिये। वे ऐतिहासिक पवित्र पावन नगरी वाराणसी से आते हैं। वे आज इसी सदन में अभी इसी क्षण घोषणा करें कि उनकी सरकार नहीं है और मान्यवर, मैं आप से भी बहुत ही अदब से, जितनी आजिजी हो सकती है उतनी आजिजी के साथ, यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इस कुर्सी को छोड़ कर के इस कुर्सी पर किसी प्रकार का दाग लगने से इसको बचालें क्योंकि उसी में इस सदन की भी मर्यादा है, इस कुर्सी की भी मर्यादा है और उससे हम सभी सदस्यों की प्रतिष्ठा ऊंची होती है। मान्यवर, चौधरी साहब ने जो बातें कहीं, हमारे माधव बाबू ने उसका समर्थन किया। ऐसी हालत में, मेरी हिम्मत नहीं है कि हम उसके विपरीत जायं वरना, मैं अपने दल की तरफ से यह मांग करता

कि जब तक यह सरकार अपने यहां गिरने का और आप अपनी कुर्सी छोड़ने का ऐलान न करें तब तक बराबर इसी तरह अव्यवस्था बनी रहे....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह--

अध्यक्ष महोदय, आज जो कुछ इस सदन में हुआ है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज सबसे काला दिन है। आज वह दिन है जिस दिन हमने जनतंत्र का गला नहीं घोंटा बल्कि जनतंत्र के जो हिमायती बैठे हैं उन्होंने जनतंत्र का गला घोंटा है। अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं। हम क्या उम्मीद करते थे। हम विरोधी पक्ष के लोग हैं। हम जब अल्पमत में थे तब हम उम्मीद करते थे कि यहां अल्पमत की रक्षा की जाय। लेकिन आज क्या हुआ, सरकार की रक्षा करने के लिये इस सरकार को गद्दी पर बिठाने के लिये बावजूद इसके कि सदन के अन्दर हमारा बहुमत था आपने ऐसी कार्यवाही की जिससे आज निष्पक्ष....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उसके लिये अत्यन्तावश्यक है कि विरोधी दलों का उसको समर्थन प्राप्त हो। अगर समर्थन प्राप्त नहीं होता है तो मैं आपके फ़ैसले पर छोड़ता हूं कि आप उस कुर्सी पर बने रहने का निर्णय लेंगे। मेरा निवेदन है कि यह सरकार आज कानूनी तौर पर गिर चुकी है....

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि यह सरकार गिर चुकी है और आज सरकार....

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि आज जो भी काम सरकारी कुर्सियों पर बैठने वाले लोग फ़ाईलों पर करेंगे, दस्तखत करेंगे या जो भी आदेश देंगे वह आदेश गैरकानूनी आदेश होगा। इस सदन के अन्दर सरकार गिर चुकी है और मैं कहता हूं कि इस पर आप न व्यवस्था दें। मेरा निवेदन है कि इस पर आपकी व्यवस्था नहीं चाहते हैं क्योंकि विरोधी दलों की तरफ से बराबर कहा जा रहा है कि आपने इसमें पक्षपात किया है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आज मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इब्तदा से ही सदन के अन्दर अव्यवस्था रही। उस सिलसिले में आपने एकाध रूलिंग भी दी कि मंत्रियों की तरफ से उचित जवाब नहीं मिला। मंत्रियों की गैरहाजिरी भी रही। हो सकता है कि आज कांग्रेस पार्टी के अन्दर हाई लेबिल पर गम्भीर प्राब्लम चल रहा है, शायद उनका दिमाग उस तरफ़ लगा हो। यह उनकी बातें हैं, मुझे उसमें जाना नहीं है। लेकिन यह जरूरी है कि इस आदरणीय सदन के अन्दर जो कुछ आज हुआ वह एक ऐतिहासिक घटना हुई। ऐसी घटना आज तक देखने में नहीं आई और न सुनने में आई है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सवाल सिर्फ़ यह है कि यह पहला मौका है कि जब मोशन आपने वोट पर रख दिया और उसकी एक प्रक्रिया जब डिवीजन की मांग चली तो उसके रूप में जो हुआ वह सामने है। यह आप जैसे तजुर्बेकार के लिये जिन्होंने जिन्दगी का यहां पर काफ़ी अरसा गुजारा है उससे हमारा सर नहीं झुकता बल्कि पूरे देश में इस सदन में आज तक आपके द्वारा दी हुई व्यवस्थायें, जिनको मिसाल के तौर पर जगह-जगह पेश की जाती हैं और हमने स्वयं यहां पेश किया है कि माननीय ए० जी० खेर ने यह कहा है, इसलिये मुझे और भी ज्यादा खेद है। सिर्फ़ इस खयाल से कि कहीं ऐसा न हो जाय कि सरकार गिर जाय, आपने ऐसा किया, इसलिये मुझे खेद है। बहरहाल, जो कुछ हुआ, उसके लिये जितना

[श्री रियासत हुसैन]

भी अफ़सोस जाहिर किया जाय, वह थोड़ा है। अगर माननीय चौधरी साहब और कांग्रेस के हमारे नेताओं ने आपस में बातचीत करके कोई रास्ता निकालने की तजवीज की है तो उसका मैं समर्थन करता हूं। दिक्कत यह है कि आज सदन में माननीय नेता मौजूद नहीं हैं इसलिए उनके दल के लोग इस परिस्थिति में नहीं हैं कि अपनी तरफ से कोई फ़ैसला ले सकें। इसलिये इतनी बात कह कर मैं चौधरी साहब और त्रिपाठी जी की बात का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब इस प्रश्न पर मैं सदन की राय लेता हूं कि सदन पूरे दिन के लिये स्थगित कर दिया जाय।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि आज सदन को पूरे दिन के लिये स्थगित कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह—

माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने प्रस्ताव पेश किया है कि आज सारे दिन के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय। इससे तो हम सहमत हैं ही।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, साढ़े १० बजे पूर्वाह्न कल फ़िर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन २ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२५ अगस्त, १९६९।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५४ पर]

तालिका–१

वाचनालय	
कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लिये	यद्यपि शासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है परन्तु ४ जेलों में कर्मचारियों ने स्वयं प्रबन्ध कर लिया है ।
बन्दियों के लिए	जेलों में समाचार पत्र आते हैं और पुस्तकें भी हैं जो बंदियों को बरिक तथा अहातों में पढ़ने के लिये दिये जाते हैं । कुछ जेलों में किसी खाली बैरिक या स्थान को वाचनालय के लिये इस्तेमाल करते हैं जिसकी कोई शासकीय स्वीकृति नहीं है । ऐसे जेलों की संख्या ३५ बताई गयी है ।
पुस्तकालय	
कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए ।	यद्यपि शासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है परन्तु कुछ जेलों में कर्मचारियों ने स्वयं प्रबंध किया है । ऐसे जेलों की संख्या ७ है ।
बन्दियों के लिए	जेल मैनुअल के पैरा ७३७ के अनुसार प्रत्येक जेल में बंदियों के लिये पुस्तकालय है ।
पार्क	
कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए ।	यद्यपि शासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है परन्तु ६ कारागारों में कर्मचारियों ने स्वयं प्रबन्ध किया है ।
बन्दियों के लिये	कोई प्रशासनिक आदेश नहीं है । १६ जेलों में बन्दियों ने प्रबन्ध किया है ।
समुचित रोशनी	
कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए ।	५३ जेलों के अधिकारियों के क्वार्टरों में बिजली का प्रबन्ध है और शेष ११ जेलों में नहीं है । वार्डर के क्वार्टर में बिजली कहीं नहीं है ।
बन्दियों के लिए ..	जेल मैनुअल के पैरा ७७३ (ए) के अनुसार समस्त जेलों में प्रबन्ध है । दस ऐसे जेल हैं जहां कुछ भागों में बिजली भी है ।

पीने के लिए स्वच्छ पानी	
कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए।	५५ जेलों पर संतोषजनक सुविधा है।
बन्दियों के लिए	समस्त जेलों पर है।

उत्तर प्रदेश अभिलेखागार

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ७७ एल० ए०–१९६९–९७० (कार्य०)।